fo"k; lwph

कमल संदेश

सीबीआई का दुरुपयोग

राष्ट्रपति को ज्ञापन.............. 5
नितिन गडकरी का वक्तव्य... 7
अरुण जेटली का वक्तव्य...... 10

संसद में बहस

फोन टैपिंग

अरुण जेटली....................... 21

जनगणना २०११

अनंत कुमार......................... 23
गोपीनाथ मुण्डे..................... 24
अरुण जेटली

अन्य

फोन टैपिंग मामला............... 12
स्वर्णिम गुजरात.................... 14

लेख

बदलते दौर में हमारी कृषि नीति
भारत डोगरा................ 29

सम्पादक

çHkkr >k] lkln

सम्पादक मंडल

lR;iky
d- d- 'kek
lqtho dqekj flUgk

पृष्ठ संयोजन

/keZsUæ dkS'ky
fodkl lSuh

सम्पर्क

Mk- eqdthZ Lefr U;kl
ihih&66] lqczã.;e Hkkjrh ekxZ
ubZ fnYyh&110003
Qksu ua- +91¼11½&23381428
QSDl % +91¼11½&23387887
lnL;rk grq % +91¼11½&23005700

सदस्यता शुल्क

okf"kZd 100#- | f=okf"kZd 250#-

e-mail address

kamalsandesh@yahoo.co.in

प्रकाशक एवं मुद्रक : डा. नन्दकिशोर गर्ग द्वारा डा. मुकर्जी स्मृति न्यास, के लिए एक्सेलप्रिंट, सी–36, एफ.एफ. कॉम्पलेक्स, झण्डेवालान, नई दिल्ली–55 से मुद्रित करा के, डा. मुकर्जी स्मृति न्यास, पी.पी–66, सुब्रमण्यम भारती मार्ग, नई दिल्ली–110003 से प्रकाशित किया गया। : सम्पादक – प्रभात झा

{ *मान के नष्ट हो जाने पर मनुष्य का जीवित रहना मृत्यु के समान है, इसमें कोई संशय नहीं।* }

-श्रीमद्भागवत गीता

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

lEikndh;

भ्रष्टाचार की पर्याय है यूपीए सरकार

भारत अनाथ होता दिख रहा है। लगता है जिनके रक्त में भारतीयता का उबाल होना चाहिए था, उनकी धमनियों और शिराओं के रक्त भ्रष्टाचार युक्त हो गए हैं। भ्रष्ट रक्त से उत्कृष्ट कर्म नहीं हो सकते। कर्म पावनता चाहता है। कर्म भावना चाहता है। कर्म धर्म चाहता है। कर्म में समाज का मर्म होना चाहिए। कर्म में परोपकार भी होना चाहिए। कर्म विकार से दूर होना चाहिए। कर्म में सामाजिक सरोकार होना चाहिए। गत डेढ़–दो महीने में ऐसा लग रहा है जैसे हम सब कुछ खोते जा रहे हैं।

इनकम टैक्स आयकर विभाग का काम है जो टैक्स कम दे, उसे पकड़ना और टैक्स की वसूली करना, पर देखिए नियति का खेल भ्रष्टाचार में आयकर के बड़े से बड़े अधिकारी स्वयं पकड़े जा रहे हैं। सीबीआई का काम है छापा मारना, जांच करना, पर अनेकों सीबीआई अधिकारी स्वयं जांच और छापे के घेरे में हैं। वहीं केन्द्र सरकार सीबीआई का राजनीतिक दुरुपयोग कर रही है। पुलिस का थोड़ा बहुत गलती करना समझ में आता है पर सीआरपीएफ के जवान कारतूस, बम नक्सलियों को सप्लाई करने लगे हैं, ऐसे में नक्सलियों से प्रभावित करोड़ों लोगों की हिफाजत कौन करेगा? केतन देसाई एमसीआई के चेयरमैन यदि कसाई हो जाएं और छापा पड़ने पर उनके घर से डेढ़ सौ किलो सोना, 180 करोड़ रूपए नकद प्राप्त हों फिर कौन हिफाजत करेगा आम भारतीयों की? केतन देसाई मेडिकल कॉलेज खोलने के नाम पर प्रबंधकों से करोड़ों वसूलते हैं। प्रबंधक छात्रों से वसूलते हैं। इसलिए गत 6–7 वर्षों में चिकित्सा महाविद्यालयों में डाक्टर कम केतन कसाई अधिक पैदा हो रहे हैं।

पाक स्थित भारतीय उच्चायुक्त की महिला यदि इस्लाम कबूल कर हिन्दुस्तान की बोली लगा और भारत के बजाय पाकिस्तान के लिए काम करने लगे तो भला हमारा कौन माई–बाप होगा? भारत के गृह मंत्रालय के संयुक्त सचिव और कुछ अधिकारियों के घर ही नहीं, बल्कि राज्यों में आईएएस और आईपीएस के रूप में तैनात नौकरशाहों के घर में भी अरबों–खरबों रूपए मिलने लगे हैं तो भला भारत के तिरंगे की हिफाजत कौन करेगा।

यूपीए सरकार के मंत्रिमंडल के सदस्य यदि आइपीएल की आड़ में सट्टाबाजार का कारोबार करने लगे और अपनी प्रेमिका के लिए ली गई संवैधानिक शपथ से खिलवाड़ करने लगे तो भला भारत मां के आंसू कौन पोंछेगा? पाक अधिकृत कश्मीर का व्यक्ति अमेरिकन नागरिक बनकर भारत के रक्षा संस्थान (आईडीएसए), जहां पर रक्षा सामग्रियों का विश्लेषण और अनुसंधान होता है, के लिए शोध के हेतु आये और वीजा खत्म होने के बाद न जाय तो इसे हम क्या कहेंगे, भारत की
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

कमजोरी या मजबूरी?

नकली नोटों के व्यापार ने स्थिति इतनी बद्तर कर दी है कि विदेशों में भारतीय करेंसी छप रही है। हेडली दहाड़ रहा है, कसाब हर भारतीय को कसक दे रहा है। अफजल उच्चतम न्यायालय के आदेश के बाद भी हर भारतीय को मुंह चिढ़ा रहा है। पर सरकार की प्राथमिकता अपने विरोधियों के टेलीफोन टेप करना हो गई है।

दिक्कत यह है कि आज जो देश चला रहे हैं उनमें विदेशी होने के नाते स्वदेशी का अभाव है। इधर हमारे प्रधानमंत्री करेंसी की चिंता तो समझते हैं लेकिन 'कंट्री' नहीं समझते। इसमें दोष सिर्फ उनका ही नहीं, उनका भी है जिन्हें संविधान ने मत देने का अधिकार दिया है।

भारतीय राजनीति हताशा ही नहीं बल्कि बहुत नाजुक दौर से गुजर रही है। भारतीय राजनीति की दशा और दिशा बदलने का समय आ चुका है। यह कार्य बातों से नहीं होगा। जब तक हम वजन तौलने की मशीन में उसके द्वारा मांगी जाने वाली राशि का सिक्का नहीं डालते हैं तो वजन का टिकट बाहर नहीं निकलता है। बिना समर्पण और त्याग के हम राजनीतिक दशा और दिशा नहीं बदल सकते। समर्पण और त्याग विचार तो है ही परन्तु इसका महत्व तब तक नहीं है जब तक यह स्वयं के आचरण में न आ पाए। भारत को आज अदब, शालीन, भद्र समाजयुक्त सोच वाले राजनीतिज्ञों की परम आवश्यकता है। विचारों की राजनीति तो सदैव चलेगी लेकिन कुछ राष्ट्रीय मामले हैं जिन पर राजनीति नहीं बल्कि सर्वसम्मत नीति बननी चाहिए। भारत की असफलता या बदनामी किसी पार्टी विशेष की असफलता – बदनामी नहीं मानी जाएगी बल्कि भारत की भूमि से जुड़े प्रत्येक भारतीयों की उपेक्षा मानी जाएगी। कभी–कभी लगता है भारत विकृत युक्त संस्कृति से गुजर रहा है। अन्यथा पिता का बेटी से बलात्कार, मामा से भांजी का बलात्कार, सामूहिक हत्याओं का दौर, एक साथ चार बच्चों की हत्या कर स्वयं मर जाना, ऐसी एक नहीं, अनेक घटनाएं निरंतर घट रही हैं। पर स्थिति ऐसी निर्मित हो चुकी है कि इन पीड़ाओं के प्रति सरकार को संवेदनशील होना चाहिए, लेकिन समाज क्यों इतना असंवेदनशील होता जा रहा है? यह बात समझ से परे है।

आजादी के पहले हर भारतीय राष्ट्रीयता से ओत–प्रोत था, आजादी के बाद राष्ट्रीयता का रक्त कमोबेश सभी में शिथिल क्यों होता जा रहा है? उन कारणों को ढूंढना होगा। दलगत राजनीति जनमत के लिए है, पर जनमत तो राष्ट्र के लिए होना चाहिए क्योंकि इस यथार्थ से कोई इनकार नहीं कर सकता कि भारत रहेगा तो हम रहेंगे। जहां सामूहिकता की आवश्यकता है वहां सामूहिकता पूरे देश में दिखनी चाहिए। जहां विचार की आवश्यकता है वहां वैचारिक प्रबलता भी दिखनी चाहिए। देश को उदासीनता से बाहर निकालना होगा और यह तभी निकलेगा जब हमारा राष्ट्रीय और नागरिक बोध जागेगा।■

प्रभात झा म.प्र. भाजपा के निर्विरोध अध्यक्ष निर्वाचित

Hkkजपा के पूर्व राष्ट्रीय सचिव व राज्यसभा सदस्य प्रभात झा 8 मई, 2010 को मध्यप्रदेश भाजपा के निर्विरोध अध्यक्ष चुन लिए गए। पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष तथा चुनाव पर्यवेक्षक कलराज मिश्र ने भोपाल में प्रदेश अध्यक्ष के चुनाव के परिणाम घोषित करते हुए कहा कि प्रभात झा निर्विरोध निर्वाचित घोषित हुए हैं।

पं.दीनदयाल परिसर में प्रदेश अध्यक्ष का चुनाव संपन्न होने पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान एवं मध्यप्रदेश भाजपा के निवर्तमान अध्यक्ष श्री नरेन्द्र सिंह तोमर ने नवनिर्वाचित प्रदेश अध्यक्ष प्रभात झा को हार्दिक बधायी दी और यशस्वी कार्यकाल की कामना की।

मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने प्रभात जी को संगठन का कर्मठ, निष्ठावान और परिश्रमी कार्यकर्ता बताते हुए आशा व्यक्त की कि प्रभात जी के प्रदेश अध्यक्ष के पद ग्रहण करने के साथ मध्यप्रदेश में नवप्रभात का उदय होगा। प्रभात झा ने अपने संक्षिप्त और सारगर्भित संबोधन में सभी का आभार व्यक्त करते हुए उन्हें भरोसा दिलाया कि वे पार्टी में एक सामान्य कार्यकर्ता की भूमिका में रहें हैं और प्रदेश अध्यक्ष होने के बाद में भी अध्यक्ष का ताज कार्यकर्ताओं के लिए समर्पित रहेगा।

प्रभात झा के मध्यप्रदेश भाजपा अध्यक्ष निर्वाचित होने पर 'कमल संदेश' के संपादक मंडल सदस्यों एवं सहयोगियों ने हार्दिक शुभकामनाएं दीं। विदित हो कि प्रभात झा 'कमल संदेश' के संपादक भी हैं।

उक्त अवसर पर थावरचंद गेहलोत, सुंदरलाल पटवा, कैलाश जोशी, डॉ. लक्ष्मीनारायण पाण्डे, डा.सत्यनारायण जटिया, मेघराज जैन, माया सिंह, कप्तान सिंह सोलंकी, निर्मला भूरिया, माखन सिंह चौहान, विक्रम वर्मा, चंद्रमणि त्रिपाठी, चेतन कश्यप, बाबू सिंह रघुवंशी, कृष्ण मुरारी मोघे, बाबूलाल जैन, गौरीशंकर शेजवार, राघवजी भाई, कैलाश विजयवर्गीय, रामकृष्ण कुसमरिया, जगदीश देवड़ा, रामेश्वर शर्मा, रामोराम गुप्ता, विश्वास सारंग सहित प्रदेश के पदाधिकारी और बड़ी संख्या में कार्यकर्ता, जिलाध्यक्ष, प्रदेश प्रतिनिधि भी उपस्थित थे। ■

सीबीआई के राजनीतिक दुरुपयोग को लेकर भाजपा ने राष्ट्रपति को ज्ञापन सौंपा

भारतीय जनता पार्टी के सांसदों ने भाजपा संसदीय दल के अध्यक्ष श्री लालकृष्ण आडवाणी, लोकसभा में विपक्ष की नेता श्रीमती सुषमा स्वराज, राज्यसभा में विपक्ष के नेता श्री अरूण जेटली के नेतृत्व में संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन (यूपीए) द्वारा केन्द्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) का दुरुपयोग किए जाने को लेकर 7 मई, 2010 को महामहिम राष्ट्रपति को एक ज्ञापन सौंपा। हम यहां ज्ञापन का पूरा पाठ प्रकाशित कर रहे हैं:

महामहिम राष्ट्रपति जी,
राष्ट्रपति भवन,
नई दिल्ली

महामहिम राष्ट्रपति जी,

भाजपा के प्रतिनिधि के रूप में हम सत्तारूढ़ संप्रग द्वारा सीबीआई के घोर दुरूपयोग का आपके सामने खुलासा करने के लिए आपका कुछ समय लेने के लिए बाध्य हुए हैं। आवश्यकतः, सीबीआई का सृजन केन्द्रीय सरकार के अधिकारियों के विरूद्ध मामलों की तहकीकात करने के लिए संसद के अधिनियम द्वारा हुआ था। "विधि और व्यवस्था" राज्य का विषय होने के नाते यह महसूस किया गया था कि केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों को राज्य की अधिकारिता के अंतर्गत नहीं लाया जाना चाहिए। इसी प्रकार भारत की परिसंघीय संरचना का सम्मान करते हुए यह महसूस किया गया था कि राज्य से संबंधित किसी भी अपराध की राज्य सरकार की विशिष्ट सहमति के बिना सीबीआई द्वारा तहकीकात नहीं की जा सकती है।

मगर, विगत छह वर्षों में संप्रग सरकार ने सीबीआई की स्वाधीनता और स्वायत्तता को पूरी तरह नष्ट कर दिया है। संप्रग सरकार ने मुख्यतः तीन आवश्यक बिन्दुओं को आधार बनाकर कार्य किया है,

(क) यदि अभियुक्त संप्रग का नेता है तो उसके विरूद्ध मामले को समाप्त कर दिया जाना चाहिए। इस श्रेणी में अनेक केसों पर पर्दा डाला गया है।

(ख) यदि केस उस राजनीतिक दल से संबंधित है, जो संसदीय बहुमत जुटाने के लिए संप्रग की सहायता के लिए आगे आ सकता है, तो उसके नेताओं के सिर पर तलवार लटकी रहे ताकि सीबीआई उस दल और संप्रग के बीच "बारगेनिंग काउंटर" के रूप में कार्य कर सकती है।

(ग) यदि केस संप्रग कि किसी ज्ञात विरोधी से संबंधित है तब सीबीआई को प्रतिकारात्मक ढंग से कार्य करना चाहिए।

पहली श्रेणी में सीबीआई का दुरूपयोग करके बोफोर्स केस को सुनियोजित ढंग से समाप्त किया गया। श्री अजीत

जोगी के विरूद्ध विधायकों की खरीद करने के प्रयास संबंधी केस को भी सुनियोजित रूप में समाप्त कर दिया गया। पेट्रोल पंपों के आवंटन के बारे में भाई–भतीजावाद के मामले में सतीश शर्मा के विरूद्ध अभियोग चलाने की मंजूरी नहीं दी गई। 2007 में भी पंजाब के चुनावों के दौरान सीबीआई का एक धार्मिक पंथ के मुखिया को यह मिथ्या वायदा करने के लिए इस्तेमाल किया गया कि यदि वह कांग्रेस पार्टी का समर्थन देने के लिए अपने समर्थकों/अनुयायियों को निर्देश जारी करेगा तो उस पर चल रहे अभियोग को वापस ले लिया जाएगा। श्री लालू यादव के विरूद्ध आय से अधिक संपत्ति रखने के मामले को भी सरकारी अभियोजक को बदलकर कमजोर कर दिया गया। श्री लालू यादव का किसी भी तरह के कर दायित्व से मुक्त करने के और उसके धन को वैध ठहराने के लिए आयकर अपीलीय अधिकरण की विशेष बैंच गठित की गई ताकि उसका इस्तेमाल आपराधिक विचारण में दोषमुक्ति हेतु आधार के रूप में किया जा सके। जब ऐसा हो गया तब सीबीआई को उच्च न्यायालय के सामने अपील फाइल न करने की सलाह दी गई। जब राज्य सरकार ने अपील फाइल की तब सीबीआई ने तर्क दिया कि अन्य कोई अपील फाइल करने के लिए प्राधिकृत नहीं है। बसपा नेता सुश्री मायावती के विरूद्ध ताज कॉरिडोर से संबंधित केस को 2007 में तब हल्का कर दिया गया जब बसपा के समर्थन की जरूरत थी। मगर, 2008 में अविश्वास प्रस्ताव पर मतदान के समय उनके विरूद्ध आय से अधिक संपत्ति के मामले को यह देखते हुए सक्रिय कर दिया गया कि वे संप्रग का मुखर विरोध कर रही थी। अप्रैल, 2010 में जब लोकसभा में कटौती प्रस्ताव पर उनके समर्थन की जरूरत थी तब उच्चतम न्यायालय के सामने अचानक एक बयान दिया गया, जिसमें उनके विरूद्ध आय से अधिक सम्पत्ति के मामले को हल्का करने का प्रयास किया गया। जब मुलायम सिंह सरकार का समर्थन करते थे अथवा जब सरकार का विरोध करते थे तब परिस्थितियों के अनुसार उनके मामले में शपथ पत्रों को बदला गया।

प्रतिरक्षा से संबंधित लेन–देनों के बारे में श्री जॉर्ज फर्नाडीज़ के विरूद्ध एक मिथ्या केस रजिस्टर्ड किया गया। हालांकि जस्टिस फूकन की अध्यक्षता वाले जांच आयोग ने स्पष्ट मत दिया था कि उनके विरूद्ध कोई मामला नहीं बनता। 6 दिसंबर 1992 की घटना से संबंधित श्री लालकृष्ण आडवाणी के केस को उनकी कारसेवकों से विवादित ढांचे से नीचे उतर आने की अपील के निर्वचन को परिवर्तित करके तथ्यतः मिथ्या आधार पर चलाया जा रहा है। सीबीआई केस का पूरा आधार है कि श्री आडवाणी द्वारा की गई इस अपील के पीछे कारसेवकों को क्षति से बचाने का आशय था और अपील से यह संकेत नहीं मिलता है कि वे विवादित ढांचे को ध्वस्त करने के व्यापक षड्यंत्र का हिस्सा नहीं थे।

आजकल, गुजरात राज्य सीबीआई के सतत् प्रयास द्वारा जुल्म का शिकार हो रहा है। राज्य सरकार के कार्मिकों विशेषकर उसके पुलिस अधिकारियों को परेशान करने के लिए उनको डराया–धमकाया जा रहा है और उनके खिलाफ प्रतिशोधी कार्यवाही की धमकी दी जा रही है। ऐसा उन मामलों में किया जा रहा है, जिनमें उच्चतम न्यायालय द्वारा गठित स्पेशल इंन्वेस्टिगेटिव टीम द्वारा पहले ही तहकीकात की जा चुकी है। सीबीआई का प्रयास है कि संप्रग के राजनीतिक निर्देशों के आधार पर राज्य सरकार के विरूद्ध झूठे केस तैयार किए जाएं।

सीबीआई ने अपनी अन्वेषण संबंधी निष्ठा गंवा दी है। सीबीआई सत्तारूढ़ दल का एक राजनीतिक हथियार बनकर रह गई है। सीबीआई का 2008 के विश्वास मत के दौरान और 2010 में कटौती प्रस्ताव के समय प्रतिपक्षी दलों के साथ राजनीतिक सौदेबाजी करने के लिए इस्तेमाल किया गया। आजकल सीबीआई का इस्तेमाल राजग तथा अन्य प्रतिपक्षी दलों के वरिष्ठ नेताओं को परेशान करने के लिए किया जा रहा है।

हम इसलिए आपके पास आकर आपको कष्ट देने के लिए विवश हुए हैं कि इस सरकार को समझाया जाए और यह सुनिश्चित किया जाए कि सीबीआई का यह घोर दुरूपयोग तुरंत रोका जाए। हमारा आपसे आग्रह है कि आप इस सरकार को सतर्क कर दें कि यदि सीबीआई का दुरूपयोग जारी रहता है तो भारतीय जनता पार्टी के सदस्यों के पास इस विकल्प के सिवाय कुछ नहीं बचेगा कि हम सीबीआई के इस घोर दुरूपयोग के विरूद्ध सभी मंचों पर, संसद में, न्यायालयों के समक्ष और भारत के लोगों के समक्ष डटकर लड़ाई लड़ें।

सधन्यवाद

ykyÑ".k vkMok.kh	l"kek Lojkt	v#.k tVyh
चेयरमैन (भाजपा संसदीय दल)	नेता प्रतिपक्ष (लोकसभा)	नेता प्रतिपक्ष (राज्यसभा)

■

सीबीआई का राजनीतिक दुरूपयोग कर रही है कांग्रेस : नितिन गडकरी

Hkkजपा ने संप्रग द्वारा विगत 6 वर्षों में सीबीआई के घोर दुरूपयोग पर आपत्ति व्यक्त की है। संप्रग I तथा II ने (1) कांग्रेस के नेताओं तथा अन्य संप्रग नेताओं के अपराधों पर पर्दा डालने या उन पर लीपापोती करने के लिए (2) प्रतिपक्ष के, विशेषतया भाजपा, सपा और राजग के कमजोर मन के नेताओं पर दबाव बनाने के लिए और (3) प्रतिपक्ष के उन नेताओं को जो सरकार के दबाव में नहीं आये थे, परेशान करने के लिए सीबीआई का उपयोग किया है।

कांग्रेस नेताओं के अपराधों पर पर्दा डालना या उन पर लीपापोती करना

इस उदाहरण के तहत दो कुख्यात केसों का हवाला दिया जा सकता है :

1. श्री अजीत जोगी के विरूद्ध केस (विधायकों को खरीदना) को सीबीआई का इस्तेमाल करके सुनियोजित रूप में समाप्त किया गया। (Outlook India Website, 27 April, 2010)
2. सीबीआई का दुरूपयोग करके बोफोर्स केस और इटलीवासी क्वात्रोची को भारतीय न्यायालयों के सामने पेश करने में पूर्ण विफलता को अंजाम दिया गया। (Source : Outlook India 27, April, 2010)
3. दिल्ली के एक न्यायालय ने (23 फरवरी, 2010 को) सीबीआई के पूर्व कांग्रेसी सांसद श्री सज्जन कुमार को गिरफ्तार करने और पेश करने में हुई विफलता की आलोचना की थी। एक न्यायाधीश ने टिप्पणी की थी, "सीबीआई के प्रभाव की वास्तविकता पर संदेह बना हुआ है... सीबीआई के काम करने का क्या यही तरीका है। सारे गवाह कहां चले गए?" (Source : www.thehindu.com 24 Feb. 2010)
4. उच्चतम न्यायालय ने श्री जगदीश टाइटलर को 1984 के सिख विरोधी दंगों के केस में क्लीन चिट देने में "केन्द्र के कहने पर कार्य करने" के लिए सीबीआई की आलोचना की थी। सीबीआई की तहकीकात में अनेक खामियां पाई गई, जो स्पष्ट संकेत देती थी कि केन्द्र श्री टाइटलर को राहत देने के लिए सीबीआई को निर्देश दे रहा था। (One India News 2 April, 2009)

प्रतिपक्ष के कमजोर मन वाले नेताओं पर दबाव डालना

गत 06 मई, 2010 को भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री नितिन गडकरी द्वारा जारी वक्तव्य का पूरा पाठ

1. सुश्री मायावती ने कहा था, "...सीबीआई अवैध रूप से और राजनीतिक दबाव में मेरे विरूद्ध आय से अधिक संपत्ति का मामला चलाए जा रही है।" (Source : Raj Thackerey News & Info, 23 April, 2010)

किंतु ऐसा होते हुए बजट सत्र अप्रैल 2010 के दौरान कटौती प्रस्ताव पर बहस की पूर्व संध्या को उच्चतम न्यायालय के सामने एक बयान दिया गया, जिसमें आय से अधिक संपत्ति के उसी केस को हल्का करने की कोशिश की गई। इस प्रकार सीबीआई का दुरूपयोग किया गया। (Source : Outlook India 27, April, 2010)

जनता दल (यू) के श्री शरद यादव ने भी सरकार द्वारा सीबाआई का दुरूपयोग करने का आरोप लगाया। (Source: DNA News 28, April, 2010)

पुनः सुश्री मायावती के ताज कॉरिडोर केस में सीबीआई द्वारा मारी गई पलटी सबकी जानकारी में है, जिसे मीडिया में व्यापक रूप से प्रचारित किया गया था। (www.outlookindia.com 27 April, 2010)

2. श्री अमर सिंह ने आय से अधिक संपत्ति मामले और लोक हित मुकद्दमे में उच्चतम न्यायालय में प्रतिक्रिया देते हुए कहा था, "सीबीआई कांग्रेस ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन बन गई है" उन्होंने आरोप लगाया कि सीबीआई को एक हथियार के रूप में प्रयोग किया जा रहा है तथा इस इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी की निष्पक्षता पर सवाल पैदा हो गए हैं। (Source: The Indian Express website 11 Feb. 2009)

3. श्री लालू यादव के विरूद्ध केस को नाजुक मोड़ पर लोक अभियोजक बदलते हुए कमजोर किया गया।

श्री यादव को आयकर वभाग की कार्यवाहियों को मिलीभगत से मैनेज करके और सीबीआई का दुरूपयोग करके दोषमुक्त करवाया गया। (Source : Outlook India, 27 April 2010)

सीबीआई ने श्री लालू प्रसाद यादव और उनकी पत्नी श्रीमती राबड़ी देवी के विरूद्ध अपने स्वयं के निष्कर्षों को रद्दी का पुलिंदा बताया। सीबीआई ने अपने शुरू के तर्कों को नकारते हुए इस प्रक्रिया में बिहार सरकार का विरोध किया। (Source : hindu.com, tehelka.com, timesofindia.com, dnaindia.com etc.)

प्रतिपक्ष के जिन नेताओं पर सरकार दबाव नहीं डाल सकती उन्हें परेशान किया जाना

देशभर में पुलिस द्वारा खतरनाक अपराधियों के साथ फर्जी मुठभेड़ों के मामले रजिस्टर्ड किए जाते हैं। राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग द्वारा प्रकाशित किए गए आंकड़े निम्न प्रकार है :

संप्रग सरकार ने गुजरात में "एन्काउंटर किलिंग" के केस को सीबीआई को सौंपने में असाधारण रूचि ली है हालांकि इससे पहले ही गुजरात पुलिस ने अनेक वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों के विरूद्ध आरोप पत्र फाइल कर दिए थे।

State	Cases	Sections
Maharashtra	2	Sect. 307 120b etc. Sect. 302 Sect. 25 & 27 of Arms Act
Madhya Pradesh	4	Sect. 25, 27 of Arms Act etc.
Rajasthan	1	Sect. 147 302 IPC etc.

- सोहराबुद्दीन पर इससे पहले ही आतंक फैलाने का आरोप लगाया गया था और उसे 1995 में गिरफ्तार किया गया था तथा पुलिस की रिमांड में दिया गया था। सोहराबुद्दीन के खेतों में एक कुंए से 24 ए क` – 5 6 राइफलस्–27 हैंड ग्रिनेडस्, 5250 कारतूस और 81 मैंगजीन बरामद हुए थे।
- सोहराबुद्दीन, दाऊद और लतीफ गिरोहों का सहयोगी रहा था।
- अनेक केसों में सोहराबुद्दीन के साथी अर्थात् शरीफ खां (छोटा दाऊद के रूप में ज्ञात) और रसूल पार्टी अपराधी तथा राष्ट्र विरोधी घोषित किए गए हैं। उनकी गिरफ्तारी के लिए रेड कार्नर नोटिस जारी किए गए हैं।

Fake Encounters

Year	Total	Gujarat	Remark
Until 2002	55	None	UP 44 case
2002-03	118	2	UP 78 , AP 6, Bihar 8 etc.
2003-04	109	4	UP 68 , AP 9 , Bihar 5, Uttarakhand 6 etc.
2004-05	84	6	UP 54 , AP 5 , Bihar 7
2005-06	45	4	UP 29 , AP 3 , Bihar 3 etc.
2006-07 *(Provisional)*	80 Out of a total of 301 encounters *(Provisional)*	1	UP 51, Bihar 16, AP 5

4. श्री मुलायम सिंह यादव के आय से अधिक संपत्ति के केस में उच्चतम न्यायालय ने सीबीआई को बुरा–भला कहा था। इससे पहले न्यायालय ने आलोचना की थी "सीबीआई केन्द्र के कहने पर कार्य कर रही है"। (Source: ibnlive.in.com : 11 Feb, 2009)

5. संप्रग सरकार ने श्री मुलायम सिंह के विरूद्ध आरोपों को दबा दिया क्योंकि सरकार को समाजवादी पार्टी के सांसदों के समर्थन की जरूरत थी।

- सोहराबुद्दीन के विरूद्ध विभिन्न राज्यों में अनेक केस लंबित हैं।

राज्य की सीआईडी क्राइम स्थिर गति से कार्य कर रही है और उसने उच्च पुलिस अधिकारियों सहित 13 अभियुक्तों को चार्जशीट कर दिया है।

संप्रग सरकार जो आगे–पीछे कार्य करती है उस पर गैर–सरकारी संगठनों द्वारा दबाव डाला जा रहा है और उनके कार्यकर्ताओं ने सोहराबुद्दीन जैसे राष्ट्र विरोधी तथा अपराधी का मामला हाथ में ले लिया है। राज्य पुलिस द्वारा आरोप पत्र फाइल किए जाने के पश्चात् सीबीआई ने इस मामले में प्रवेश कर लिया है।

इस मामले में गुजरात पुलिस द्वारा विफलता के जिन 4 कारणों की पहचान की गई थी उनको सीबीआई को केस सौंपे जाने की वजह बताया गया है। उच्चतम न्यायालय के 12 जनवरी, 2010 के आदेश के बाद तथा सीबीआई द्वारा इस केस को हाथ में लेने के पश्चात् भी सीबीआई ने उन चार बिंदुओं पर आज की तारीख तक कोई प्रगति नहीं की है।

क्या यह एक संयोग मात्र ही हो सकता है कि इस मामले में सुपरवाइजरी अधिकारी मिस्टर कंडास्वामी है, जिसकी प्रसिद्धि का यह दावा है कि उसने तमिलनाडु की तत्कालीन मुख्यमंत्री के कहने पर करूणानिधि को गिरफ्तार किया था और उनके साथ दुर्व्यवहार किया था।

डीएमके के सत्ता में आने पर उक्त अधिकारी प्रतिनियुक्ति पर सीबीआई चला गया।

गुजरात के मुख्यमंत्री को दबाने और बदनाम करने के लिए सीबीआई का दुरूपयोग किया जा रहा है। गुजरात राज्य को इसलिए सजा दी जा रही है कि उसने प्रत्येक चुनाव में बार–बार भाजपा को विजयश्री प्रदान की है। ■

रांकापा नेताओं को जनता की कम, आईपीएल की चिंता अधिक : भाजपा

Hkkजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री नितिन गडकरी खाद्य कुप्रबंधन से लेकर आईपीएल में जरूरत से ज्यादा रूचि लेने के लिए भंडारा–गोंदिया में राकांपा नेताओं पर जमकर बरसे। मौका था एनजीओ पूर्ति की तरफ से भंडारा जिले के देवाड़ा

गांव में सालों से बंद पड़े चीनी कारखाने की दोबारा शुरुआत का। इस फैक्टरी का प्रबंधन पहले श्री प्रफुल्ल पटेल के हाथों में था।

वैसे तो किसान मेला नाम से आयोजित यह कार्यक्रम पूर्ति के तत्वावधान में होने वाला सामाजिक कार्यक्रम था, लेकिन वास्तव में यह एक राजनीतिक शो से कम नहीं था। लिहाजा, किसानों व गांववासियों को संबोधित करते हुए श्री गडकरी प्रदेश व केंद्र की राजनीति के तमाम पहलुओं को छूना नहीं भूले।

श्री प्रफुल्ल पटेल को निशाने पर लेते हुए गडकरी ने कहा कि जनता को बेरोजगारी व गरीबी से निजात दिलाने वाली चीनी मिल कबाड़ में बिकने के कगार पर आ गई, क्योंकि जिले के नेता आईपीएल में ज्यादा व्यस्त रहते हैं जहां क्रिकेट के खेल के साथ गौरवर्णीय, अर्धनग्न बालाओं के नृत्य होते हैं। गडकरी का इशारा चीयरगर्ल्स की ओर था।

खाद्य मंत्री शरद पवार पर हमला करने से भी वह नहीं चूके। गडकरी ने ताल ठोंक कर कहा कि जरूरी अनाजों के आसमान छूते दाम में बिचौलियों व सट्टेबाजों को फायदा पहुंचाया जा रहा है मगर जब उन्होंने पवार व पीएम मनमोहन सिंह से इस बारे में सवाल किया तो किसी माई के लाल ने जवाब नहीं दिया।

बिजली की समस्या के लिए कांग्रेस–राकांपा को दोषी करार देते हुए श्री गडकरी ने ऐलान किया कि अगर महाराष्ट्र में भाजपा की सरकार बनी तो वह दो साल में बिजली की कटौती खत्म कर देंगे वर्ना राजनीति छोड़ देंगे। पूर्ति ने स्थानीय भाजपा कार्यकर्ताओं के आग्रह पर कबाड़ में बदल चुके कारखाने को खरीद लिया है और अब उसमें दोबारा गन्ने की पिराई का काम शुरू होने वाला है।

इसके साथ ही श्री गडकरी ने भयंकर गरीबी से जूझ रहे स्थानीय किसानों को गन्ने की खेती के लिए आधुनिकतम तकनीक मुहैया कराने का वायदा और कम से कम पांच हजार स्थानीय युवाओं की नौकरी का आश्वासन भी दे डाला। ■

सीबीआई के राजनीतिक इस्तेमाल को रोका जाए : अरुण जेटली

गत 27 अप्रैल, 2010 को राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष श्री अरुण जेटली द्वारा जारी वक्तव्य

संप्रग सरकार ने अपने आपको बचाने के लिए एक बार फिर सीबीआई का राजनीतिक हथियार के रूप में प्रयोग किया है। गत छह वर्षों के दौरान संप्रग सरकार ने त्रिविध रणनीति के आधार पर सीबीआई का योजनाबद्ध रूप में दुरूपयोग किया है।

1. कांग्रेस तथा संप्रग नेताओं के विरूद्ध अपराधों पर लीपा–पोती करना और उन्हें छिपाना।
2. कुछ कमजोर तंत्रिका वाले विपक्षी नेताओं – विशेषतया बसपा, सपा तथा राजद से संबंधित नेताओं के सिर पर Democles' sowrd टांगे रखना। इन नेताओं पर केस की गर्मी को कितना घटाना या कितना बढ़ाना है – यह सरकार को मदद की आवश्यकता के अनुसार तय किया जाता है।
3. प्रतिपक्ष के उन नेताओं को परेशान किए रखना, जिनकी प्रतिपक्ष में लगातार बने रहने की संभावना है और जो सरकार के दबाव में नहीं झुकते हैं।

बोफोर्स केस में रिश्वत पाने वालों के विरूद्ध मामले को सीबीआई का दुरूपयोग करके क्रमबद्ध रूप में समाप्त कर दिया गया था। श्री लालू यादव के विरूद्ध आय से अधिक संपत्ति रखने के मामले को पब्लिक प्रोसिक्यूटर बदलकर तथा आयकर विभाग की कार्यवाहियों के

इस बात में कोई संदेह प्रतीत नहीं होता है कि सीबीआई ने अपनी तहकीकात संबंधी सत्यनिष्ठा गंवा दी है। सीबीआई सरकार का राजनीतिक हथियार बन गया है। सीबीआई के उत्तरोत्तर निदेशक सरकार के दबाव में झुक गये हैं तथा उन्होंने सीबीआई को संगीन अपराधों की तहकीकात के लिए नहीं बल्कि सत्तारूढ़ पार्टी के राजनीतिक हितों को संरक्षण देने के लिए प्रयोग किया है।

साथ हेर–फेर करके कमजोर कर दिया गया। स्पेशल जज द्वारा श्री यादव को बरी करने के आदेश के विरूद्ध उच्च न्यायालय में अपील फाइल नहीं की गई। केन्द्रीय सरकार और सीबीआई ने राज्य सरकार के अपील फाइल करने के अधिकार और कमजोर केस के बारे में प्रश्न उठाने के अधिकार का विरोध किया। श्री अजीत जोगी द्वारा विधायकों को खरीदने के मामले के विरूद्ध केस को योजनाबद्ध तरीके से समाप्त कर दिया गया। पेट्रोल पंपों के आवंटन के बारे में भाई–भतीजावाद अपनाने के मामले में सतीश शर्मा पर अभियोग चलाने की अनुमति नहीं दी गई। पंजाब चुनावों की पूर्व संध्या पर कांग्रेस पार्टी के पक्ष में राजनीतिक सौदेबाजी करने के लिए एक धार्मिक पंथ के प्रधान के विरूद्ध सीबीआई केस वापस लेने हेतु मिथ्या वायदा किया गया।

जब 2007 में बसपा के समर्थन की आवश्यकता थी तब बसपा की नेता सुश्री मायावती के विरूद्ध ताज कॉरिडोर के मामले को हल्का कर दिया। मगर

2008 में अविश्वास प्रस्ताव के समय उनके विरूद्ध आय से अधिक संपत्ति के मामले को सक्रिय कर दिया गया, जब वे संप्रग का खुला विरोध कर रही थीं। अप्रैल 2010 में जब लोकसभा में कटौती प्रस्ताव पर मायावती जी के समर्थन की आवश्यकता महसूस हुई, तब सुप्रीम कोर्ट के सामने उनके विरूद्ध आय से अधिक संपत्ति के मामले को हल्का करने का बयान दिया गया। श्री मुलायम सिंह यादव जब सरकार का समर्थन करते थे या जब सरकार का विरोध करते थे उसी के अनुसार उनसे संबंधित मामले में शपथ पत्रों को बदल दिया जाता था।

श्री जार्ज फर्नांडीज़ के विरूद्ध डिफेंस के सौदों के बारे में एक मिथ्या केस रजिस्टर्ड किया गया हालांकि जस्टिस फूकन की अध्यक्षता वाले आयोग ने स्पष्ट राय दी थी कि उनके विरूद्ध कोई केस नहीं बनता। 6 दिसंबर, 1992 की घटना के बारे में श्री लालकृष्ण आडवाणी के केस को श्री आडवाणी की कारसेवकों से विवादित ढांचे से नीचे उतर आने की अपील के निर्वचन में परिवर्तन करके तथ्यतः झूठे आधार पर शुरू किया जा रहा है। सीबीआई केस का पूरा आधार यह है कि श्री आडवाणी द्वारा की गई अपील के पीछे कारसेवकों को चोट से बचाने का इरादा था और उनकी यह अपील यह नहीं दर्शाती है कि श्री आडवाणी विवादित ढांचे को तोड़ने के बड़े षड्यंत्र का हिस्सा नहीं थे।

इस बात में कोई संदेह प्रतीत नहीं होता है कि सीबीआई ने अपनी तहकीकात संबंधी सत्यनिष्ठा गंवा दी है। सीबीआई सरकार का राजनीतिक हथियार बन गया है। सीबीआई के उत्तरोत्तर निदेशक सरकार के दबाव में झुक गये हैं तथा उन्होंने सीबीआई को संगीन अपराधों की तहकीकात के लिए नहीं बल्कि सत्तारूढ़ पार्टी के राजनीतिक हितों को संरक्षण देने के लिए प्रयोग किया है। संसद में एकीकृत प्रतिपक्ष संप्रग सरकार के लिए आंख की किरकिरी बन गया है। संप्रग प्रतिपक्ष में Trojan Horse की तलाश कर रहा है। इसकी नीतियां, घोटाले और निकम्मेपन ने प्रतिपक्ष को विघटन से बचाया हुआ है। मगर बसपा के कमजोर नाड़ी रखने वाले नेता के विरूद्ध सीबीआई का केस कारगर हुआ प्रतीत होता है – कम से कम बसपा द्वारा दिखाया गया राजनीतिक अवसरवाद यही दर्शाता है।

भाजपा और राजग आश्वस्त हैं कि प्रतिपक्ष में उनकी स्थिति ही सर्वाधिक मुखर है और हमारी पार्टी अपने आधार को बढ़ाना और अपनी स्थिति को मजबूती से बनाए रखना जारी रखेगी। ■

सीपी ठाकुर बने बिहार भाजपा अध्यक्ष

भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्री नितिन गडकरी जी ने पूर्व केन्द्रीय मंत्री पद्मश्री डा. सी.पी. ठाकुर को बिहार प्रदेश भारतीय जनता पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष मनोनीत किया है।

अरुण चतुर्वेदी राजस्थान भाजपा के अध्यक्ष निर्वाचित

गत 1 मई, 2010 को भारतीय जनता पार्टी, राजस्थान प्रदेश के अध्यक्ष पद पर श्री अरुण चतुर्वेदी निर्विरोध निर्वाचित हुए। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष चुनाव प्रक्रिया की पालना के लिए केन्द्रीय नेतृत्व की ओर से भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष विनय कटियार पर्यवेक्षक के रूप में उपस्थित रहे। गौरतलब है कि ओम प्रकाश माथुर के प्रदेश अध्यक्ष पद से त्यागपत्र देने के बाद जून 2009 में केन्द्रीय नेतृत्व ने अरुण चतुर्वेदी को प्रदेश अध्यक्ष मनोनीत किया था।

मनोहर पर्रिकर बने सुशासन प्रकोष्ठ के संयोजक

भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्री नितिन गड़करी ने पूर्व मुख्यमंत्री, गोवा प्रदेश श्री मनोहर पर्रिकर को सुशासन प्रकोष्ठ का संयोजक मनोनीत किया है। इस प्रकोष्ठ का गठन पार्टी ने पहली बार किया है।

क्या इमर्जेंसी फिर से वापस आ रही है? - लालकृष्ण आडवाणी

vk उटलुक (3 मई 2010) के नवीनतम अंक में एक बड़ी दुखद रिपोर्ट प्रकाशित हुई है जिसमें कहा गया है कि किस प्रकार से भारत सरकार प्रमुख राजनीतिज्ञ नेताओं द्वारा टेलीफोन पर बातचीत का रिकार्ड तैयार करने के लिए नवीनतम फोन–टैपिंग टैक्नालाजी का इस्तेमाल कर रही है जिसमें नीतिश कुमार जैसे मुख्यमंत्री, शरद पवार, केन्द्रीय मंत्री, प्रकाश करात, कम्युनिस्ट नेता और स्वयं कांग्रेस पार्टी के महासचिव दिग्विजय सिंह जैसे नेता शामिल हैं।

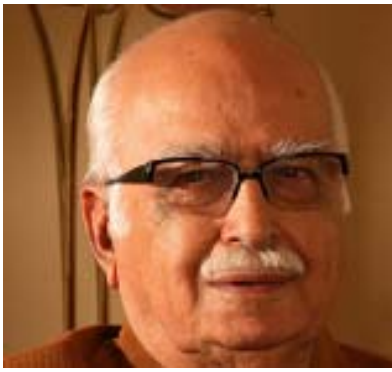

श्री लालकृष्ण आडवाणी ने अपने 25 अप्रैल के ब्लाग में, फोन टैपिंग जैसे विषय, जिस पर निरंतर दुरुपयोग होता रहता है, बहुत ही गहराई से विवेचन किया है और साथ ही सारगर्भित सुझाव प्रस्तुत किए हैं। यहां हम अंग्रेजी में प्रस्तुत इस ब्लाग का हिन्दी भावानुवाद

इससे मुझे एक बड़ी पुरानी 25 वर्ष पहले की घटना का स्मरण हो आता है। 1985 में, सुबह–सुबह एक अजनबी आंगतुक कागजों से भरा एक ब्रीफ केस लेकर मेरे घर आया। उसने बताया कि इस ब्रीफ केस में ऐसा 'डायनामाइट' भरा है जिसके विस्फोट से यह सरकार हवा में उड़ जाएगी। उसने अपना ब्रीफकेस खोला और बहुत से वीआईपी लोगों की टेलीफोन पर हुई बातचीत के लगभग 200 टाइप किए शीटों का रिकार्ड सामने रख दिया।

मैंने इन कागजातो की जांच की। मुझे इनमें ऐसी कोई 'विस्फोटक' सामग्री दिखाई नहीं पड़ी जिसका वह सज्जन जिक्र कर रहे थे। इनमें से कुछ कागजात टेलीफोन पर हुई बातचीत वाले थे जो मैंने उस समय श्री अटल बिहारी वाजपेयी के साथ की थी। मुझे ज्यादा हैरानी इस बात पर हुई कि उन टेप रिकार्ड की गई बातचीत की ट्रांसक्रिप्टों में न केवल विपक्षी नेताओं की टेप रिकार्डिंग थी बल्कि कुछ प्रमुख पत्रकारों और कुछ बहुत ही प्रतिष्ठित ज्ञानी जैल सिंह जैसे वीवीआईपी लोगों की बातचीत भी शामिल थी।

25 जून 1985 का दिन आपातकालीनकाल की 10वीं जयंती का दिन था। उस दिन प्रेस सम्मेलन को सम्बोधित करते हुए श्री वाजपेयी ने न केवल एमर्जेंसी में हुई ज्यादतियों का जिक्र किया था, बल्कि उन 19 महीनों में बड़ी मात्रा में की गई फोन–टैपिंग का भी उल्लेख किया था:

''मुझे बहुत समय से पता था कि मेरे फोन तथा मेरे पार्टी सहयोगी आडवाणी के फोन की निगरानी हो रही थी। परन्तु बाद में मुझे मालूम हुआ कि बहुत से अनेक नेताओं– जैसे चौधरी चरण सिंह, जगजीवन राम और चन्द्रशेखर एवं अनेक पत्रकारों जैसे– जी.के. रेड्डी, अरूण शौरी, कुलदीप नैय्यर और जी.एस चावला की भी नियमित रूप से टैपिंग की जा रही थी। परन्तु जिस बात से मैं हक्का–बक्का रह गया था, वह यह थी कि इंटेलीजेंस ब्यूरो की इतनी हिम्मत बढ़ गई कि उसने राष्ट्रपति और चीफ जस्टिस के भी टेलीफोनों की टैपिंग की। इस प्रकार की बातें न केवल राजनैतिक रूप से अनैतिकता को दर्शाती हैं बल्कि ये असंवैधानिक और गैर कानूनी भी हैं।''

1996 में, जब श्री देवगौडा प्रधानमंत्री थे, उस समय पूर्व गृहमंत्री एस.बी चव्हाण के नेतृत्व में एक उच्चस्तरीय कांग्रेसी प्रतिनिधिमण्डल ने तत्कालीन प्रधानमंत्री से शिकायत की थी कि यूपी सरकार श्री पी.वी. नरसिम्हा राव और अनेक वरिष्ठ कांग्रेसी नेताओं की फोन टैपिंग कर रही है। प्रधानमंत्री ने इन कांग्रेसजनों को बताया कि उनकी शिकायत में कोई यथार्थ नहीं है। इस इंकारी के बावजूद भी श्री देवगौडा ने स्वयं बाद में घोषणा की थी कि सीबीआई से इस मामले में जांच करने के लिए कहा गया है।

1988 में एक प्रमुख फोन टैपिंग की घटना ने कर्नाटक में उथल–पुथल मचा दी थी। टाइम्स आफ इण्डिया ने डीआईजी (इंटेलीजेंस) द्वारा जारी एक

आदेश की प्रतिलिपि प्रकाशित करते हुए राजनेताओं और कुछ संस्थानों के नामों की सूची दी थी, जिनके टेलीफोनों की टैपिंग उस सूची में शामिल थी।

उस समय मैं राज्यसभा का सदस्य था और मुझे स्मरण है कि केन्द्रीय मंत्री बूटा सिंह ने कर्नाटक सरकार की बहुत बुरी तरह से भर्त्सना की थी और कहा था कि हेगडे सरकार के विपरीत केन्द्र सरकार किसी राजनीतिज्ञ अथवा पत्रकार के फोनों की टेपिंग नहीं करती है। इस वक्तव्य ने मुझे गुस्सा दिलाने पर मजबूर कर दिया था और मैंने उठकर कहा थाः ''आज जो कुछ कहा जा रहा है, उस पर मैं कुछ कह नहीं सकता। परन्तु मुझे स्वयं यह बात मालूम है कि 1985 तक आपकी सरकार मेरा टेलीफोन और अनेक राजनीतिज्ञों एवं पत्रकारों के टेलीफोन टैप करती रही है।''

....

विश्व के अनेक लोकतांत्रिक देशों में फोन टैपिंग की वैधता और सीमाओं पर लगातार बहस होती रही है। संयुक्त राज्य में वाटरगेट के दिनों में यह विषय कटु विवाद का विषय बना रहा। लोगों की नाराजगी और महाभियोग की धमकी के कारण रिचर्ड निक्सन को अपना पद छोड़ना पड़ा था।

उनके उत्तराधिकारी डेराल्ड फोर्ड ने उन्हें पूरी तरह से क्षमा कर दिया था। परन्तु तीन वर्षों के बाद डेविड फ्रास्ट के एक टेलीविजन साक्षात्कार (19 मई 1977) में निक्सन ने सनसनीखेज बयान दिया था। उन्होंने कहा था कि यदि राष्ट्रपति आदेश दे दें तो सेंधमारी और अन्य अपराध गैर कानूनी नहीं रहते हैं।

1977 में प्रेजीडेण्ड कार्टर ने कांग्रेस के पास एक योजना को अनुमोदित करने के लिए कहा था जिससे किसी भी नागरिक की प्राइवेसी (निजता) पर न्यायिक अधिकृत किए बिना कोई हस्तक्षेप करना एक दम असम्भव बन जाए। कार्टर का मानना था कि इस योजना से राष्ट्रीय सुरक्षा और किसी नागरिक की प्राइवेसी के बीच उठने वाला कोई भी ''अन्तर्निहित द्वन्द्व'' सफलतापर्वूक समाधान कर लिया जाएगा। बाद में ऐसा कानून बन गया जिसमें एफबीआई

1985 में, सुबह–सुबह एक अजनबी आंगतुक कागजों से भरा एक ब्रीफ केस लेकर मेरे घर आया। उसने बताया कि इस ब्रीफ केस में ऐसा 'डायनामाइट' भरा है जिसके विस्फोट से यह सरकार हवा में उड़ जाएगी। उसने अपना ब्रीफकेस खोला और बहुत से वीआईपी लोगों की टेलीफोन पर हुई बातचीत के लगभग 200 टाइप किए शीटों का रिकार्ड सामने रख दिया।

सहित सभी सुरक्षा अधिकारियों के लिए किसी भी प्रकार की वायर–टैपिंग के लिए न्यायिक अनुमोदन से पूर्व अनुमति लेना आवश्यक हो गया।

ब्रिटेन में, वायर–टैपिंग का कोई कानून नहीं है। परन्तु अनेकों संसदीय समितियों ने इस प्रश्न पर गहराई से विचार किया है। 1957 में, नार्मन बिरकेट की अध्यक्षता में प्रीवी कौंसिल की तीन सदस्यीय समिति ''इंटरसेप्शन आफ कम्युनिकेशंस'' विषय पर जांच करने के लिए गठित की गई।

बिरकेट समिति ने कहा था कि वायर–टैपिंग अर्थात् सभी प्रकार की प्राइवेट कम्युनिकेशंस इंटरसेप्टिंग 'निहायत आपत्तिजनक' हैं, परन्तु यह भी महसूस किया कि इस चलन को कतिपय स्पष्ट परिभाषित क्षेत्रों में अनुमति दी जा सकती है और साथ ही इसके साथ उपयुक्त सुरक्षा–उपाय करना आवश्यक होगा। इसमें निर्धारित है कि वायर–टैपिंग की अनुमति केवल पुलिस और सुरक्षा एजेंसियों को केवल अपराध कार्यों की जांच अथवा विनाशकारी या षड्यंत्रकारी गतिविधियों को रोकने के लिए दी जा सकती है। इन क्षेत्रों के लिए भी समिति ने कड़े मार्गनिर्देशक सिद्धांत तैयार किए हैं। अभी तक, ब्रिटेन में किसी ने भी सरकार परन्तु इन शक्तियों के दुरूपयोग का आरोप नहीं लगाया है।

इस संदर्भ में आवश्यक यह है कि एक संसदीय समिति का गठन बिरकेट समिति की लाइन पर किया जाए जो इस समस्या के सभी पहलुओं पर विचार करे, पुराने इण्डियन टेलीफोन एक्ट, 1985 को निरस्त करे और इसके स्थान पर नया कानून लाया जाए जिसमें किसी भी आम नागरिक की प्राइवेसी पर अतिक्रमण की अनुमति न दी जाए, परन्तु जिसमें साथ ही साथ सरकार को इस अधिकार की भी औपचारिक मान्यता दी जाए कि वह केवल अपराध, विनाशकारी और षड्यंत्रकारी गतिविधियों से निपटने के लिए ही नवीन आईटी साधनों का इस्तेमाल करेगी। इस कानून में कानूनी सुरक्षा–उपाए रहने चाहिए जिससे सरकार के लिए राजनीतिज्ञों और पत्रकारों के खिलाफ इन शक्तियों का दुरूपयोग करना असंभव बन जाए।■

गांधीनगर में महात्मा मंदिर

अहमदाबाद में सरदार पटेल स्टेडियम एक विशाल स्टेडियम है जिसमे लगभग 54000 सीटों की क्षमता है। मैंने इस स्टेडियम का दौरा पिछली बार दिसम्बर 2007 में राज्य विधानसभा चुनावों में भाजपा की शानदार विजय के बाद श्री नरेन्द्र मोदी और उनके मंत्रिमण्डल के शपथ समारोह के समय किया था।

इस वर्ष 1 मई को 1960 में निर्मित गुजरात की स्वर्णिम जयंती के समारोह के अवसर पर इस स्टेडियम में पहुंच कर मैंने देखा कि यह स्टेडियम जनसमूह से खचाखच भरा ही नहीं था बल्कि प्रवेश द्वारों के बाहर भी भारी भीड़ एकत्रित हुई थी।

टाइम्स आफ इण्डिया, अहमदाबाद ने पूरे एक पृष्ठ की रिपोर्ट प्रस्तुत की थी।

स्वर्णिम गुजरात की शुरूआत, रंगारंग कार्यक्रम

स्वर्णिम गुजरात समारोह ने अहमदाबाद के सरदार पटेल स्टेडियम में मौजूद लाखों की भीड़ को मंत्रमुग्ध कर दिया. जितने लोग स्टेडियम के भीतर थे उससे दुगने लोग बाहर थे जिन्हें प्रवेश नहीं मिल पाया। समारोह में भाग लेने बड़ी संख्या में अग्रणी नेता पहुँचे थे. गुजरात की राज्यपाल डा. कमला बेनीवाल, भाजपा के वरिष्ठ नेता लालकृष्ण आडवाणी, लोकसभा में विपक्ष की नेता सुषमा स्वराज, राज्यसभा में विपक्ष के नेता अरूण जेटली, कर्नाटक के मुख्यमंत्री बी एस येदियुरप्पा, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री रमन सिंह, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री रमेश पोखरियाल निशंक, बिहार के उपमुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी, पंजाब के उपमुख्यमंत्री सुखबीर सिंह बादल आदि मंच पर मौजूद थे।

गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने स्वागत भाषण में कहा कि गुजरात देश के सभी लोगों का है और इसका विकास पूरे देश का विकास है. उन्होने गुजरात की साढ़े पांच करोड़ जनता से आग्रह किया कि वे हर साल 100 घंटे समयदान दें और शिक्षा, सफाई, पर्यावरण और चिकित्सा में से किसी एक क्षेत्र को चुनकर अपना योगदान दे। उन्होंने कहा कि गुजरात का विकास केवल इस राज्य का विकास नहीं बल्कि पूरे हिंदुस्तान का विकास है। इसके बाद शानदार सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया. लोग आस्कर विजेता संगीतकार ए आर रहमान की धुन पर जमकर थिरके।

एक पूरी पीढ़ी गुजर गई जिसने गुजरात राज्य को देखा कि यही वह राज्य है जो देश के पश्चिम तट पर मद्यनिषेध राज्य है– यह स्वर्णिम समारोह सचमुच अद्भुत था। यह भव्य समारोह आतिशबाजी की छटा से शुरू हुआ, गुजरात की प्राग्–ऐतिहासिक युग सिद्धराज जयसिंह, सुलतान अहमद शाह, संजन में पारसियों का अवतरण और बम्बई राज्य से जुदा होकर 1960 में अलग राज्य बनना– इस सारे वृत्तांत को यहां सरदार पटेल स्टेडियम की खचाखच भरी भीड़ के समक्ष दोहराया गया।

विशाल जनसमूह के बाहर, जिसमें ब्यूरोक्रेट, राजनीतिज्ञ तथा अन्य वीवीआईपी शामिल रहे, समारोह में भाग लेने के लिए संघर्षरत रहे, परन्तु स्टेडियम की क्षमता से कहीं अधिक होने के कारण सुरक्षा गार्डों ने उन्हें अंदर आने से वंचित रखा।

इस स्थिति में ऐसा कुछ हुआ जो आज से पहले कभी नहीं हुआ। जनसमूह के सामने विनम्र क्षमायाचना करते हुए मुख्यमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने घोषणा की कि 2 मई की सायं को डेढ़ घंटे का संगीत नृत्य व 'लेसर' समारोह फिर से

उन लोगों के लिए आयोजित होगा जो आज के समारोह में शामिल होने से वंचित रहे हैं।

पिछले साठ वर्षों में, मैंने अनेक सरकारी नेताओं को विभिन्न अवसरों या संस्थाओं के रजत जयंती या स्वर्णिम जयंती मनाते देखा है। परन्तु गुजरात में जो कुछ नरेन्द्र मोदी ने किया, वह अद्भुत था। स्वर्णिम गुजरात समारोह मात्र सरकारी समारोह नहीं था। उनकी कल्पनात्मक दृष्टि और नवीनता एवं उनकी करिश्माई अपील तथा कठोर परिश्रम ने वस्तुतः इस विशाल जन समारोह को अद्वितीय बना दिया।

उदाहरण के लिए जयनाद, जिसमें राज्यपाल, मुख्यमंत्री और मैंने एनआरआई तथा एमआरजी के यूनीवर्सिटी समारोह में भाग लिया, उसे 30 अप्रैल को 7.30 बजे न केवल वहां आयोजित किया गया था, बल्कि उसे गुजरात के सभी शहरों, कस्बों और गांवों में ठीक उसी समय लगभग 50,000 स्थानों पर आयोजित किया गया था।

मैंने पिछला सप्ताहांत (30 अप्रैल और 2 मई) गांधीनगर में बिताया। ये दिन पूरा राज्य समारोही मूड में था क्योंकि यह राज्य के निर्माण के स्वर्णिम जयंती वर्ष का अवसर था।

इस निर्वाचन क्षेत्र के प्रतिनिधि के रूप में मुझे खुशी होती है कि इस अवसर पर राज्य सरकार ने गांधी नगर में निगम की घोषणा की। मुख्यमंत्री नरेन्द्र मोदी ने इसे स्वर्णिम उपहार बताया। इस उपहार से स्वतः ही निगम को केन्द्र सरकार के जवाहरलाल नेहरू अर्बन रिन्यूअल मिशन फंड से धन प्राप्त होगा। किन्तु इस अवसर पर गांधीनगर में महात्मा मन्दिर की नई परियोजना की शुरूआत से मुझे और भी कहीं अधिक खुशी मिली।

135 करोड़ रूपए की लागत के अनुमान से बनने वाला यह महात्मा मन्दिर 34 एकड़ में फैला होगा। मन्दिर महात्माजी के जीवन और चिंतन का स्मारक होगा और साथ ही यहां प्रथम श्रेणी का कंवेंशन सेंटर होगा। 'वाइब्रेंट गुजरात' की अगली ग्लोबल सम्मिट का आयोजन इस नवनिर्मित कंवेंशन सेंटर में करने का प्रस्ताव है।

आगन्तुकों को गांधीजी के दाण्डी मार्च का स्मरण कराने के लिए नमक के टीले जैसा गुम्बद आकार का संग्रहालय और समाधिस्थल (मेडीटेशन सेंटर) होगा। इस परियोजना की पूरी योजना ग्रीन कंस्ट्रक्शन टेक्नालाजी के अनुसार होगी।

मन्दिर के उद्घाटन समारोह के अवसर पर प्रमुख रूप से मुख्यमंत्री मंच के पास विशेषतः सुसज्जित स्टेज बना कर विभिन्न कलश तैयार किए गए थे जिनमें विश्व के पचास से अधिक देशों की मिट्टी और पानी शामिल था, जिन्हें एनआईआई इस समारोह के लिए लाए थे तथा इनमें वे गुजराती जन, जो भारत के विभिन्न राज्यों से आए थे, शामिल थे इस मंदिर के निर्माण के लिए विश्व के विभिन्न भागों से मिट्टी और पानी के इस्तेमाल के विचार से मुझे स्मरण हो आया कि 1951 में डा. के.एम. मुंशी ने इसी प्रकार की पद्धति सोमनाथ मंदिर मे अपनाई थी और प्रधानमंत्री नेहरू ने उस पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए आपत्ति की थी तथा इसके विशुद्धीकरण की बात कही थी।

डा. मुंशी ने केबिनेट बैठक में उनकी कड़ी भर्त्सना की थी। उन्होंने प्रधानमंत्री को एक लम्बी चिट्टी लिखी थी जिनमें उन्होंने कहा था कि सोमनाथ मंदिर के पुनर्निनिर्माण का निर्णय केबिनेट ने किया था। उस समय सरदार पटेल ने प्रमुख भूमिका निभाई थी और गांधी जी ने इस निर्णय पर अपना आशीर्वाद दिया था।

डा. मुंशी ने लिखा थाः ''कल आपने हिन्दु पुनर्जागृति की बात की थी। आपने विशेष रूप से केबिनेट में मुझे सोमनाथ से जुड़ा बताया था। मुझे खुशी है कि आपने यह कहा; क्योंकि मैं अपने किसी विचार और क्रियाकलाप को छिपाना नहीं चाहता हूं। मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि भारत के आज ''सामूहिक उपचेतना'' भारत सरकार द्वारा प्रयोजित सोमनाथ मंदिर की पुनर्निर्माण की येाजना से किसी भी अन्य बात से कहीं अधिक आह्लादित करती है जो भी हमने अभी तक किया है।

उन्होंने आगे कहा थाः अपने विगत में मेरी आस्था है जिसने मुझे वर्तमान में काम करने की शक्ति प्रदान की है और भविष्य की तरफ देखने की प्रेरणा दी है। मैं ऐसी किसी भारतीय स्वतंत्रता को महत्व नहीं दे सकता जो भगवद्गीता का तिरस्कार कर दे या उन लाखों लोगों की आस्था को हमारे मन्दिरों से हटा दे और जीवन के तंतुओं को नष्ट कर दे। सोमनाथ के निर्माण से मेरा सपना साकार हुआ है। मुझे लगता है– बल्कि मुझे विश्वास होता है कि ये मंदिर हमारे जीवन में महत्वपूर्ण स्थान रख कर हमारे लोगों को धर्म की और भी अधिक पवित्र धारणा प्रदान करेगा और हमें विभिन्न प्रकार की चेतनाओं को शक्तिमान करेगा, जो इन दिनों स्वतंत्रता और कठिनाईयों में और भी महत्व रखेंगी।

इस पत्र को पढ़ने के बाद हमारे प्रख्यात सिविल अधिकारी वीपी मेनन, जो सरदार पटेल के रियासतों को जोड़ने के विशाल कार्य में सहायक रहे थे, ने मुंशी को पत्र लिखा था– ''मैंने आपका सर्वोत्कृष्ट पत्र पढ़ा है। मैं उन लोगों में से एक हूं जो आपके पत्र में लिखे उद्गारों को लेकर जीवन बिताना चाहेंगे और आवश्यकता होगी तो उन्हीं उद्गारों पर मर मिटने को तैयार रहेंगे।■

आलू उत्पादकों के लिए सरकार राहत प्रदान करे : राजनाथ सिंह

''गरीब किसान, जो आलू की खेती करते हैं, दयनीय बनी हुई है। उन्हें उपज का मात्र 1.60 रूपए से 4 रूपए मिलता है, जबकि उनकी लागत 3 रूपए से लेकर 6 रूपए बनती है। पश्चिम बंगाल में इन छोटे किसानों को इस वर्ष ही लगभग 30,000 रूपए से लेकर एक लाख रूपए का नुकसान हो रहा है।'' भाजपा के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष ने अपने यह उद्‌गार पश्चिम बंगाल में प्रगट किए। इस अवसर पर उनके साथ डा. किरीट सोमैया एवं अन्य राज्य नेता श्री राहुल सिन्हा और श्री तथागत राय भी थे।

श्री राजनाथ सिंह ने रत्नापुर, पुरसुरा शरीफ, तारकेश्वर, सिंगुर, चपदंगा क्षेत्रों में आलू के खेतिहर किसानों, सहकारी समितियों कोल्ड स्टोरेज के मालिकों एवं अन्य सामाजिक कार्यकर्ताओं के साथ भी विचार विमर्श किया और उनकी शिकायतें सुनी, जिनमें प्रमुख रूप से आलू की कम कीमत मिलना, धनाभाव में अपनी फसल को मार्च/अप्रैल में बेचना, प्रतिबीघा 3000 से 6000 रूपये का नुकसान उठाना और ऋण वापसी का संकट है। किसानों का यह भी कहना था कि कमोडिटी एक्सचेंज हेराफेरी को जन्म देता है जिससे 40 लाख के टर्न ओवर में से वास्तविक सुपुर्दगी 7215 टन अर्थात् 18 प्रतिशत ही हो पाती है।

इसी सिलसिले में भाजपा के अन्य नेताओं– श्री कलराज मिश्र, श्री मुख्तार अब्बास नकवी और डॉ. किरीट सोमैया ने भी आगरा क्षेत्रों का दौरा किया था।

किसानों की इस दुर्दशा को देखते हुए भाजपा की मांग है कि–

पूर्व भाजपा अध्यक्ष श्री राजनाथ सिंह द्वारा कोलकाता में 29 अप्रैल 4को जारी प्रेस वक्तव्य

1. किसानों के कोल्ड स्टोरेज का किराया सरकार वहन करे।
2. ऋण पर ब्याज की अदायगी सरकार द्वारा की जाए।
3. सरकार को तुरंत ही किसानों के आलू खरीदने चाहिए।
4. किसानों को आलू, प्याज और टमाटर जैसी जल्द नष्ट होने वाली मदों का भुगतान उचित मूल्य पर करना चाहिए।
5. कमोडिटी एक्सचजेंज की फ्यूचर/स्पेकुलेटिव सूची से स्थायी रूप से हटा लेना चाहिए।

श्री राजनाथ सिंह ने पश्चिमी बंगाल और उत्तर प्रदेश के क्षेत्रों का दौरा करने के बाद 30 अप्रैल को 'शून्य' काल में आलू खेतिहर किसानों का प्रश्न उठाते हुए सदन में कहा–

1. पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश तथा अन्य क्षेत्रों में आलू की आपदग्रस्त स्थिति में बिक्री से होने वाली हानि के कारण आत्महत्याएं हो रही है और उनमें तनाव फैला हुआ है।
2. आलू की अत्यधिक कम कीमत मिलने के कारण किसानों को बड़ा नुकसान उठाना पड़ रहा है। कोल्ड स्टोरेज की सुविधाएं न मिलने से उन्हें अपनी उपज लागत से कहीं कम लागत पर 1 रूपए से 3 रूपए भाव पर बेचना पड़ रहा है, जिससे उन्हें प्रति एकड़ 15000 से 30,000 रूपए का घाटा होता है।
3. अधिकांश किसानों को अपने खेतों में आलू उगाने के लिए ऋण लेना पड़ता है और अच्छी फसल के बावजूद भी घाटे के कारण वे अपना ऋण वापस करने में असमर्थ रहते हैं। अतः सरकार को आलू बोने वाले किसानों के ऋणों के ब्याज को माफ करना चाहिए।
4. सरकार को किसानों द्वारा देय कोल्ड स्टोरेज का किराया वहन करना चाहिए और देश में आलू खरीदने के लिए उचित व्यवस्था तैयार करनी चाहिए।
5. सरकार को ढांचागत और अपनी नीतियों में प्रक्रियात्मक बदलाव कर आलू, प्याज और टमाटर की उचित कीमतें प्रदान करनी चाहिए क्योंकि ये मदें शीघ्र नष्ट होने वाली मदों में आती हैं।
6. सरकार को तुरंत ही आवश्यक वस्तुओं की सट्‌टेबाजी बंद करनी चाहिए। ■

सड़े-गले गेहूं का मुद्दा मानवाधिकार आयोग के पास पहुंचा

गत 26 अप्रैल, 2010 को सड़े–गले गेहूं का मुद्दा मानव अधिकार आयोग के पास पहुंच गया। भाजपा के राष्ट्रीय सचिव डॉ. किरीट सोमय्या और डॉ. सुधा यादव ने याचिका फाइल की तथा आयोग से हस्तक्षेप करने की अपील की।

एक 52 पृष्ठीय दस्तावेज के साथ याचिकाकर्ताओं ने सरकार के विभिन्न वेयरहाउसों से एकत्रित सड़े हुए गेहूं के नमूने भी प्रस्तुत किए। याचिकाकर्ताओं ने बताया कि अब तक हरियाणा, राजस्थान, पंजाब और उत्तर–प्रदेश भर में 20 से अधिक एफसीआई/सरकारी गोदामों को सड़े हुए गेहूं को स्टोर/मिक्स करने के लिए बेनकाब किया गया है।

भाजपा नेताओं ने अपनी याचिका में मानव अधिकार आयोग से खुले गोदामों का दौरा करने तथा स्वयं अपनी आंखों से देखने का आग्रह किया

याचिकाकर्ताओं के अधिवक्ता है : श्री भूपेन्दर यादव तथा सुश्री देबलीना किलिकदार। डॉ. किरीट सोमय्या ने बताया कि यह बेहद बुरी स्थित है कि एक ओर लोग भूख से मर रहे हैं और दूसरी ओर सरकार गेहूं तथा चावल को सड़ने दे रही है। भाजपा के देखने में आया है कि कुछ स्थानों पर सड़े गेहूं को सामान्य गेहूं के साथ मिलाकर मानव उपभोग के लिए वितरित किया जा रहा है।

ऐसी आशंका है कि जो 72 लाख टन गेहूं हरियाणा, उत्तर प्रदेश, पंजाब और राजस्थान के खुले वेयरहाउसों में पड़ा है, उसमें से बड़ी मात्रा पहले से ही गल–सड़ चुकी है।

ऐसी घटनाएं स्पष्ट दर्शाती हैं कि भारत में जो गरीब लोग भूख से मर रहे हैं तथा खाली पेट सोने के लिए विवश हैं, उसका प्रमुख कारण उत्पादन की कमी नहीं है। बल्कि सरकार का कुप्रबंधन तथा हेराफेरी है। इसके लिए सरकार पूरी तरह जिम्मेवार है।

इस याचिका के वादियों में शामिल है, भारत सरकार, कृषि मंत्रालय का खाद्य और उपभोक्ता मामले विभाग तथा सार्वजनिक वितरण विभाग और भारत का खाद्य आयोग।

याचिकाकर्ताओं ने विभिन्न खुले वेयर हाउसों का दौरा किया जहां पर देखा गया कि जो खाद्यान्न वहां स्टोर किये गए है उन सबकी 1/3 मात्रा पहले ही खराब हो चुकी है। यह आघात पहुंचाने वाली बात है कि कई स्थानों पर भारतीय खाद्य निगम ने अपने गोदाम प्राइवेट पार्टियों को दे रखे हैं। भारतीय खाद्य निगम के गोदामों में गेहूं के स्थान पर शराब की बोतलें स्टोर की गई हैं।

याचिकाकर्ताओं ने उल्लेख किया कि भारत में लगातार वर्षों में प्रचुर फसल का उत्पादन हुआ है। सरकार ने किसानों से भारी मात्रा में गेहूं तथा चावल खरीदे/उगाहे हैं। इस समय भारतीय खाद्य निगम के पास 82 लाख टन के बफर स्टॉक मानक के विरूद्ध केन्द्रीय पूल में 183.88 लाख टन गेहूं जमा है। सरकार के गोदाम चावल और गेहूं से अटे पड़े हैं। 1 मार्च, 2010 को 200 लाख टन की बफर स्टॉक जरूरत

सड़े–गले गेहूं तथा चावल के बारे में मानव अधिकार आयोग को प्रस्तुत याचिका भाजपा नेता श्री किरीट सोमय्या की आयोग से हस्तक्षेप करने की अपील

के विरूद्ध गोदामों में 453 लाख टन खाद्यान्न जमा है।

भारत के अंतर्राष्ट्रीय खाद्य नीति अनुसंधान संस्थान की सूचना के अनुसार भूख से लड़ाई लड़ने में भारत का 65वां स्थान है। भारत के कुल खाद्यान्न उत्पादन का 10.5 प्रतिशत बेकार चला जाता है।

याचिकाकर्ता मानव अधिकार आयोग से अनुरोध/प्रार्थना करते हैं :

1. प्रतिवादियों को भारतीय खाद्य निगम तथा उसकी एजेंसी द्वारा खुले गोदामों में रखे गये गेहूं तथा चावल की मात्रा का सही हिसाब देने के निर्देश दिए जाएं।
2. माननीय आयोग एक समिति नियुक्त करे, जिसमें रजिस्ट्रॉर, याचिकाकर्ता और कार्यकर्ता शामिल हो। समिति प्रत्येक ऐसे खुले वेयरहाउस का निरीक्षण करे।
3. प्रतिवादियों को सड़े हुए गेहूं को सामान्य गेहूं के साथ मिलाने पर तुरंत रोक लगाई जाए और खाने लायक गेहूं को सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से गरीबों में वितरित किया जाए।
4. प्रतिवादियों को कहा जाए कि वे गेहूं और चावल की मात्रा, स्टेटस, ग्रेड तथा शेल्फ लाइफ के बारे में प्रयोगशालाओं से रिपोर्ट प्राप्त करें। ■

पानी संकट को लेकर भाजपा का प्रदर्शन

भारतीय जनता पार्टी ने 4 मई को यमुना पार के भजनपुरा चौक और झिलमिल दो स्थानों पर पानी की भारी किल्लत का समाधान निकालने में पूरी तरह विफल रही दिल्ली की कांग्रेस सरकार के खिलाफ धरना दिया। भाजपा ने मांग की कि सरकार दिल्ली के लिए पानी की उपलब्धता बढ़ाए, पानी की बरबादी और अपव्यय को रोके और पानी के वितरण में सन्तुलन लाए।

भजनपुरा चौक पर आयोजित धरने को प्रदेश अध्यक्ष प्रो. ओम प्रकाश कोहली, विधानसभा में प्रतिपक्ष के नेता प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा, राष्ट्रीय महामंत्री विजय गोयल, पार्टी विधायक साहब सिंह चौहान और नरेश गौड़, जिला अध्यक्ष सीताराम गुप्ता, स्थायी समिति के पूर्व अध्यक्ष बृजेन्द्र गुप्ता, प्रदेश उपाध्यक्ष पवन शर्मा और अनेक स्थानीय पार्षदों ने सम्बोधित किया।

सभी वक्ताओं ने पानी की उपलब्धता और उसके समुचित वितरण को प्राथमिकता न देने के लिए दिल्ली सरकार की कड़ी आलोचना की और कहा कि सरकार की प्राथमिकता आई.पी.एल. मैच और राष्ट्रमंडल खेल बने हुए हैं, जबकि दिल्लीवासी पानी के लिए त्राहि–त्राहि कर रहे हैं। यमुनापार के इलाकों में पानी का संकट बहुत गम्भीर है। जनता का रोष सड़कों पर उतर आने को मजबूर है। कुछ दिन पूर्व कांग्रेस विधायक नरेन्द्र नाथ के क्षेत्र की जनता का रोष अपने विधायक के खिलाफ फूट पड़ा था। जनता की समस्या का ठोस आश्वासन देने के बजाय कांग्रेसी विधायक नरेन्द्र नाथ ने क्षुब्ध जनता के साथ जो दुर्व्यवहार किया उसकी स्थानीय भाजपा नेताओं ने कड़ी भर्त्सना की।

वक्ताओं ने घोण्डा यूजीआर का पानी मुस्तफाबाद ले जाने के कांग्रेसी सांसद जयप्रकाश अग्रवाल के प्रयत्नों की कड़ी निन्दा की और इसे राजनीति प्रेरित कदम बताया। उन्होंने कहा कि घोण्डा और बाबरपुर के लोग तो पहले ही पानी के अभाव की पीड़ा झेल रहे हैं। अगर अब इन क्षेत्रों का पानी किसी दूसरे क्षेत्र की ओर मोड़ दिया गया तो ये क्षेत्र बूंद–बूंद पानी के लिए तरस जाएंगे। उन्होंने प्रश्न किया कि घोण्डा यूजीआर से मुस्तफाबाद को पानी देने के बजाय क्षेत्रीय सांसद उसे सोनिया विहार और भागीरथी प्लांट से पानी क्यों नहीं दिलाते ?

प्रदेश अध्यक्ष प्रो. ओम प्रकाश कोहली ने भाजपा की स्थानीय इकाइयों का आह्वान किया कि वे दिल्ली के अधिकांश इलाकों में व्याप्त पानी के संकट को लेकर और बिजली की दरों में सम्भावित बढ़ोतरी के सम्बन्ध में जनरोष को अभिव्यक्ति देने के लिए वार्ड स्तर पर और विधानसभा स्तर पर धरने, प्रदर्शन आदि कार्यक्रमों का आयोजन करें। ■

सच छुपा रही है सरकार : जेटली

दिनांक : 29 अप्रैल, 2010 राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष श्री अरूण जेटली द्वारा टेलीफोन टेपिंग और सार्वजनिक जीवन में शुचिता के बारे में बहस शुरू करते हुए उठाए गए संक्षिप्त बिंदु

साप्ताहिक पत्रिका आउटलुक के 3 मई, 2010 के अंक में एक सनसनीखेज खुलासा किया गया कि देश के विभिन्न राजनीतिक दलों के चार वरिष्ठ राजनीतिज्ञों के टेलीफोन bugged किए गए है। इसमें आगे लिखा था कि सरकारी एजेंसियों द्वारा प्राप्त प्रौद्योगिकी इस प्रकार की है कि मोबाइल व्हिकिल में लगा हुआ उपस्कर दो किलोमीटर के अर्धव्यास के अंदर अनधिकृत रूप से फोन की bugging करने में सक्षम है। दैनिक समाचार पत्र – द पॉयनियर के 28 अप्रैल, 2010 के अंत में छपी रिपोर्ट में पब्लिक रिलेशंस/लॉबिस्ट फर्मों के तथा इसके मुख्यकार्यकारी अधिकारियों के फोन के Bugging का विवरण दिया गया। समाचार पत्र में दोहराई गई दस्तावेजों की अंतर्वस्तु इंगित करती थी कि उक्त फर्म ने देश के निर्णय करने की प्रक्रिया को प्रभावित किया – विशेषतया दूर–संचार विभाग और 2–जी स्पेक्ट्रम के आवंटन के बारे में प्रभावित किया।

सरकार ने दोनों समाचारों के बारे में प्रतिक्रिया व्यक्त की। दोनों मामलों में जहां शब्द कम थे, वहीं सच्चाई भी कम व्यक्त की गई थी। आउटलुक की कहानी के बारे में प्रतिक्रिया दी गई थी कि सरकार ने कोई फोन टेपिंग अधिकृत नहीं की है। सरकार ने यह नहीं कहा कि कोई फोन टेपिंग नहीं हुई है। सरकार ने केवल सतर्क इनकार किया कि उसने टेलीफोन टेपिंग अधिकृत नहीं किया है। सरकार के बयान का sub-text स्पष्ट था। सरकार के पास उपलब्ध उपस्कर ऐसा है कि यह अधिकृत किए जाने के बिना भी फोन टेप करता है।

द पॉयनियर समाचार के बारे में सीबीडीटी ने यह कहकर प्रतिक्रिया दी थी कि उसने व्यवसायियों, राजनीतिज्ञों और विज्ञापन पेशेवरों के फोन टेप नहीं किए। मगर उसमें भी इनकार गायब था कि पब्लिक रिलेशन/लॉबिस्ट फर्म के फोन टेप नहीं किए गए थे। बयान से इसकी स्पष्ट पुष्टि हुई थी। इसमें आगे उल्लेख था कि कर–वंचना/राष्ट्रीय सुरक्षा पर fraud impinging के कारण कुछ व्यक्तियों के फोन अधिकृत एजेंसियों द्वारा टेप किए जाते है।

विधिक स्थिति

इंडियन टैलीग्राफ एक्ट, 1885 की धारा 5 (2) टेलीफोन संचार के इंटरसेप्शन को डील करती है। यह संविधान–पूर्व विधि है। लोक आपातकाल या लोकसुरक्षा की मौजूदगी फोन टेप करने के लिए सरकार की अधिकारिता की आवश्यक पूर्वापेक्षाएं है। यदि कोई लोक आपातकाल नहीं है या सार्वजनिक सुरक्षा को खतरा नहीं है तो फोन टेप नहीं किए जा सकते। PUCL बनाम यूनियन ऑफ इंडिया 1997 (1) SCC-301 के मामले में उच्चतम न्यायालय ने स्पष्ट रूप में कहा था कि "लोक आपात की घटना या लोकसुरक्षा का हित अधिनियम की धारा 5 (2) के उपबंधों के लागू किए जाने के लिए sine qua non है।" प्राइवेसी का अधिकार व्यक्ति की वैयक्तिक स्वतंत्रता का आवश्यक घटक है। प्राइवेसी ऐसा अधिकार है, जिसे अकेला छोड़ा जाना चाहिए। "प्रत्येक आदमी का घर उसका दुर्ग होता है"। इसमें कोई दखलंदाजी नहीं कर सकता। किसी व्यक्ति की कनसुई करना उसकी प्राइवेसी और वैयक्तिक स्वतंत्रता का उल्लंघन है। यह अनुच्छेद 21 से टकराता है। ऐसा अतिलंघन विधि के प्राधिकार से ही संभव है।

सरकार की स्थिति क्या है ?

हालांकि सरकार सच्चाई के बारे में कंजूस है तो भी चार राजनितिज्ञों के फोनों की टेपिंग के बारे में सरकार की स्थिति यह है "सरकार ने bugging को अधिकृत नहीं किया है" जब इन व्हिकलों ने संबंधित संगठन का कार्यालय छोड़ा था तब उन्हें विशिष्ट टेलीफोन नंबर दिए गए थे, जिनको bugged किया जाना अपेक्षित था जैसा कि उच्चतम न्यायाल की अपील थी। उच्चतम न्यायालय और इंडियन टैलीग्राफ एक्ट वहां इस प्रौद्योगिकी के प्रयोग की अनुमति नहीं देते है, जहां जनरल स्वीप होता है और जहां 2 कि.मी. के अर्धव्यास में प्रत्येक व्यक्ति अपनी प्राइवेसी खो सकता है और bugged हो सकता है। क्या कानून ऐसी क्लीन स्वीप bugging किए जाने की अनुमति देता है? सरकार की ऐसी 7 एजेंसियां है, जिनको टेलीफोन bugg करने के लिए प्राधिकृत किया गया है – इंटेलिजेंस ब्यूरो, द सेंट्रल इकॉनोमिक इंटेलिंस ब्यूरो, द डीआरआई, एनफार्समेंट डायरेक्टर,

सीबीआई, नेरकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो और राज्य पुलिस। नेशनल टेक्निकल रिसर्च आर्गनाज़ेशन अधिकृत एजेंसी नहीं है। तब इसे प्राधि.त किस प्रकार किया गया? ऐसा कैसे हुआ कि इसके व्हिकल्स सभी आम और खास के टेलीफोन कानून के प्राधिकार तथा राष्ट्रीय सेफगार्डों के बिना सबके टेलीफोन bug कर रहे थे?

द पॉयनियर द्वारा जिस टेलीफोन bugging की रिपोर्ट दी गई थी उसके मामले में दो अलग–अलग प्रश्न है। पहला पीआर एजेंसी के फोन के bugging के बारे में है और दूसरा लॉबिस्ट फर्म के अवैध और अनधिकृत कार्यों के बारे में है। पहले मामले में पूर्व शर्त अर्थात् राष्ट्रीय आपात की मौजूदगी या लोक सुरक्षा की स्थिति की उस समय संतुष्टि कर ली गई थी जब इस एजेंसी के फोन bugging करने के आदेश पारित किए गए थे? स्पष्टतः आर्थिक अपराधों के लिए टेलिफोन टेपिंग के अधिकांश मामलों में इन शर्तों की संतुष्टि नहीं की जाती।

विधि, प्रौद्योगिकी और वास्तविक स्थिति के बीच असमानता

क्या हम उस स्थिति पर पहुंच गए जहां प्रौद्योगिकी ने ऐसे उपस्कर का आविष्कार कर लिया है जिसका प्रयोगकर्ता भारत के संविधान और इंडियन टैलीग्राफ एक्ट के उपबंधों का उल्लंघन करता है। Sophisticated equipment के माध्यम से क्लीन स्वीप bugging भारतीय कानून का उल्लंघन करता है। जैसी कि इस समय स्थिति है। क्या भारतीय संविधान के या इंडियन टैलीग्राफ एक्ट के सुरक्षोपायों को हटाया जाना चाहिए? इसका उत्तर स्पष्टतः 'नहीं' होगा। यदि कानूनों को इस तरह संशोधित या निराकृत करने की आवश्यकता है तो क्या ऐसी अनिर्देशित, अविनियमित प्रौद्योगिकी का प्रयोग प्रतिबंधित, लांइसेंस्ड तथा निर्बंधित किया जाना चाहिए?

स्पष्टतः, संप्रग सरकार ने ऐसा नहीं किया है और न ही उसका ऐसा करने का इरादा है। सरकार ने अपने इंटेलीजेंस और अन्वेषी अंगों को लोकतंत्र को मिटाने के लिए बार–बार इस्तेमाल किया है। सीबीआई तीन आधारों पर राजनीतिक व्यक्तियों से संबंधित केसों को डील कर रहा है। सरकार के मित्रों के लिए उसका प्रयास लीपा–पोती करना, छिपाना तथा मामलों को बंद करना है। सरकार के विरोधियों के लिए उनका प्रयास प्रतिशोध भरा रहता है। कमजोर और फेंस सिटर के लिए सरकार ने उनके सिर पर तलवार लटकती छोड़ दी है और वे इनका तब प्रयोग करते है जब सरकार को उनके राजनीतिक समर्थन की जरूरत होती है।

यह सरकार माओवादियों के बारे में प्रभावी रूप से इंटेलीजेंस इकट्ठा करने में विफल हुई है। इसका जेहादी आतंकवाद के बारे में इंटेलीजेंस प्राप्त करने का ट्रैक रिकार्ड निराशाजनक रहा है। सरकार ने जिस बात पर ध्यान दिया है वह राजनीतिक इंटेलीजेंस इकट्ठे करने पर है, जो इसके विरोधियों अथवा कतिपय अपने सदस्यों के बारे में होता है। तोड़–फोड़ के विरूद्ध इंटेलीजेंस इकट्ठा करने के लिए सरकार की क्षमता को कम कर दिया गया है। किन्तु राज्य की शक्ति राजनीतिक खुफियागिरी में इस्तेमाल की जा रही है।

लॉबिस्ट फर्म (चाहे वह वैध हो अथवा अवैध) के टेलीफोन टेपिंग से साक्ष्य का संग्रह निम्नलिखित चिंताजनक तथ्यों पर से पर्दा हटाता है :

1. लॉबिस्ट्स/पीआर एजेंसी हमारे राजनीतिक और सरकारी प्रणाली में संरचनागत रूप में कार्य कर रही हैं।
2. सरकारी निर्णयों को प्रभावित करने में रिटायर्ड सिविल सेवकों को नैमित्तिक रूप से नियोजित किया जाता है।
3. उनके मुव्वकिलों द्वारा वित्त पोषित समाचार पत्र और समाचार चैनल उनके नियंत्रण में रहते हैं। उनके कहने पर अनेक अन्य मीडिया संगठनों का वित्त पोषण किया जाता है।
4. नौकरशाह, सांसद, उद्योगपति, मंत्री, संपादक और पत्रकार उनमें से हैं, जिन्हें ये लॉबिस्ट्स अपने उपकरण के रूप में इस्तेमाल करते हैं।
5. पोर्टफोलियों का आवंटन भी उनके द्वारा प्रभावित होता है। दूर–संचार मंत्रालय के आवंटन का मामला लॉबींग का विस्तार पाया हुआ बिंदु था।
6. इन लॉबियों के कहने पर मंत्री द्वारा 2जी स्पैक्ट्रम के आवंटन को प्रभावित किया गया था। स्पैक्ट्रम आवंटन के कारण सार्वजनिक राजस्व को भारी क्षति हुई है।

क्या ये सभी आरोप सही है? क्या हम ऐसे दुर्बल लोकतंत्र बन गए है जिन पर ऐसा प्रभाव हावी हो सके? लॉबींग सरकार को निर्णय विशेष लेने के लिए मनाने की कला है। यह मनुहार तर्क द्वारा नहीं की जा सकती है, यह प्रभाव पार्श्विक विचारण से भी होता है। क्या सरकार इस सच्चाई को प्रकाश में लाएगी?

हमें अमेरिका से अतिशय लॉबिंग को प्रोत्साहित करने के परिणाम सीखने चाहिए। आज वाशिंगटन डीसी में 17 हजार से अधिक रजिस्टर्ड लॉबिस्ट है। कांग्रेस के कई सदस्यों ने पद से इस कारण इस्तीफा दे दिया है क्योंकि उन्होंने लॉबिंग को अधिक मलाई वाला पेशा पाया। विधि निर्माताओं को Lobbying Disclosure Act, 1995, the Legislative Transparency and Accountability Act, the Honest Leadership and Open Government

शेष पृष्ठ 22 पर

यूपीए सरकार को बेनकाब करने में भाजपा सफल रही

संसद के बजट–सत्र की समाप्ति के बाद 7 मई, 2010 को लोकसभा में विपक्ष की नेता श्रीमती सुषमा स्वराज एवं राज्यसभा में विपक्ष के नेता श्री अरूण जेटली ने प्रेस वक्तव्य जारी कर दावा किया कि संसद में भाजपा ने प्रमुख विपक्षी दल के दायित्व का निर्वहन करते हुए बेलगाम महंगाई, नक्सलवाद, आईपीएल घोटाला जैसे तमाम मुद्दों पर कांग्रेसनीत यूपीए सरकार को बेनकाब करने में उल्लेखनीय भूमिका निभाई। प्रस्तुत हैं प्रेस वक्तव्य का पूरा पाठः–

आज बजट सत्र 2010 समाप्त हो गया है। इस सत्र का उल्लेखनीय बिंदु संप्रग द्वारा मुद्रास्फीति, विशेषतया खाद्य मूल्य वृद्धि को रोकने में पूर्ण असहायता का प्रदर्शन रहा। इस बारे में सरकार को भारी आलोचना झेलनी पड़ी। संप्रग ने विभिन्न राजनीतिक संस्थाओं का अवमूल्यन कर दिया है। इस सत्र में ए. राजा और शशि थरूर के मामले में मंत्रीय भ्रष्टाचार उजागर हुआ, सीबीआई का दुरूपयोग हुआ , राजनीतिक विरोधियों और असहज सहयोगियों के फोन टैपिंग में लिप्त होकर लोकतंत्रीय संस्थाओं का अवमूल्यन किया गया और माओवादी हिंसा से किस प्रकार निपटा जाए इस मुद्दे पर परस्पर विरोधाभास दिखाई दिया।

मूल्य वृद्धि

यह सत्र मूल्य वृद्धि के मुद्दे पर समूचे प्रतिपक्ष द्वारा सरकार को घेरे जाने की कार्रवाई से शुरू हुआ। बजट प्रस्तुत किए जाने से पहले भी भाजपा ने भारत के लोगों के कष्टों को दोनों सदनों में प्रभावी ढंग से प्रस्तुत किया। सरकार पर हमारे संसदीय दबाव के साथ–साथ हमने करोड़ों लोगों के हस्ताक्षर का अभियान चलाया और 21 अप्रैल, 2010 को दिल्ली में भारी रैली आयोजित की। मूल्य वृद्धि के मुद्दे से किस प्रकार निपटा जाना है इस बारे में सरकार पूरे सत्र में विश्वासजनक उत्तर नहीं दे सकी। प्रधानमंत्री की भविष्यवाणियां, वित्त मंत्री और योजना आयोग के उपाध्यक्ष के 2009 के अंत में दिए गए वे आश्वासन भ्रामक सिद्ध हुए कि कीमतें निकट भविष्य में कम हो जाएंगी। मूल्य स्थिति को संभालने में सरकार की अक्षमता का लोगों के सामने पर्दाफाश हुआ। इस मुद्दे पर भाजपा को लोकप्रिय आवाज बनने का अवसर प्राप्त हुआ और हमने इस दायित्व को बड़ी शिद्दत से निभाया।

माओवादी हिंसा

आजकल माओवादी हिंसा में वृद्धि हो रही है। लगभग 220 जिलों में माओवादी मौजूदगी दिखाई देती है जबकि उनमें से 90 जिले ऐसे हैं, जहां माओवादियों ने सिविल प्रशासन को ध्वस्त कर दिया है और वहां पर अपना आंशिक या पूर्ण कब्जा कर लिया है। भाजपा ने माओवादी हिंसा के संकट को उजागर करने में समूचे प्रतिपक्ष की अगुवाई की। हमारी राष्ट्रवादी विश्वसनीयता उस वक्त सुस्पष्ट हुई, जब हम सरकार द्वारा की जाने वाली कड़ी कार्रवाई का समर्थन कर रहे थे, जिसमें माओवादियों को कड़ी चुनौती देना, पिछड़े क्षेत्रों का विकास करना और माओवादियों के विरूद्ध वैचारिक लड़ाई लड़ना शामिल है। कांग्रेस और संप्रग, जो बुरी तरह बेपर्दा हो गए थे। यह विडंबना है कि राजग से लेकर सीपीआई(एम) तक प्रतिपक्ष माओवादियों से लड़ने में देशभर में मतभेद भुलाना चाहता है। यह सत्ताधारी गठबंधन ही था जिसके सहयोगी इस मुद्दे पर विभाजित दिखाई पड़े।

वास्तविक बनाम दुर्बल प्रतिपक्ष

संसद का सत्र प्रतिपक्ष की एकता के साथ शुरू हुआ, लेकिन जल्द ही वास्तविक और मसनबी प्रतिपक्ष के बीच विभाजन स्पष्ट हो गया। प्रतिपक्ष में वास्तव में ही एक कमजोर वर्ग है। यह इसलिए कमजोर है कि उनके नेताओं के विरूद्ध भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं और सीबीआई उच्च नेतृत्व को तोड़ने–जोड़ने में सक्षम है। अनुदान मानव पर कटौती

प्रस्ताव गिर गया, लेकिन इसने संप्रग के साथ प्रतिपक्ष के दुर्बल तथा मसनबी वर्ग के नापाक गठजोड़ का पर्दाफाश कर दिया। बसपा ने कटौती प्रस्ताव पर प्रतिपक्ष का समर्थन किया। सपा और राजद कटौती प्रस्ताव पर Trojan Horses साबित हुए। वास्तविक और मसनवी प्रतिपक्ष के बीच के इस विभेद को लोगों के सामने विशेषतया उत्तर प्रदेश और बिहार के लोगों के सामने बेपर्दा करना होगा। उत्तर प्रदेश में पहले ही बसपा कांग्रेस के बीच लड़ाई नाटक

दिखलाई पड़ती है और बसपा विहीन स्थान के लिए लड़ाई अब भाजपा को आगे बढ़ने का अवसर प्रदान करती है।

मंत्रीय करतूतें

इस सत्र में मंत्रीय भ्रष्टाचार और कुकर्मों की चर्चा शिखर पर पहुंच गई। दूरसंचार मंत्रालय द्वारा चुने गए कुछ लोगों को थ्रो अभिमूल्य पर 2जी स्पैक्ट्रम का आवंटन मंत्रिमंडल निर्माण तथा स्पैक्ट्रम आवंटन में लॉबिस्टों की भूमिका, जिसके कारण सरकार राजस्व को भारी नुकसान पहुंचा, को भाजपा द्वारा प्रभावी रूप में प्रकाश में लाया गया। विदेशमंत्रालय में पूर्व राज्यमंत्री शशि थरूर के एक साथी को प्राप्त लाभ के तौर पर The quid pro quo जो उसको आईपीएल फ्रैंचाइज़ को दिए गए समर्थन के बदले में प्राप्त हुआ था। उसको प्रतिपक्ष के दबाव में छोड़ना पड़ा।

सीबीआई का दुरुपयोग

संसद के अंदर और बाहर भाजपा ने सीबीआई के दुरूपयोग को जोर–शोर से उजागर किया। राज्यसभा में इस मुद्दे पर जोरदार बहस होती। किंतु समय की कमी ने ऐसा नहीं होने दिया। इसलिए हमने इस मुद्दे पर संसद के बाहर विरोध प्रदर्शित किया और माननीय राष्ट्रपति जी को ज्ञापन प्रस्तुत किया।

टेलीफोन टैपिंग

टेलीफोन टैपिंग प्राइवेसी के अधिकार का जोकि वैयक्तिक स्वतंत्रता का मूल तत्व है और जो भारत के लोकतंत्र का अंतर्निहित अवयव है, अवमूल्यन करता है। आज सरकार ने असलियत में दोनों तरह के – प्राधिकृत और अप्राधिकृत फोन टैपिंग की बात कबूल कर ली है। समूचे प्रतिपक्ष ने लोकतंत्रीय मानकों की इस घोर अवज्ञा को लेकर सरकार को घेरा। इस सत्र में मूल्यवृद्धि, भ्रष्टाचार, सीबीआई का अवमूल्यन, टेलीफोन टैपिंग के जरिए लोकतंत्रीय संस्थाओं के अवमूल्यन पर अधिक फोकस रहा। किंतु सरकार बेपरवाह दिखाई दी। भाजपा को विश्वास है कि इनमें से प्रत्येक मुद्दे पर उसके अभियान से सरकार के समर्थन में कमी आएगी और भाजपा के इर्द–गिर्द लोकतंत्रीय ताकतों को एकजुट होने में मदद मिलेगी।

महिला बिल

भाजपा ने राज्यसभा में संविधान संशोधन विधेयक के पारण में सहायता देकर अपनी 15 वर्ष पुरानी प्रतिबद्धता निभाई, जिसमें विधानमंडलों में महिलाओं के 33 प्रतिशत आरक्षण की अनुमति दी गई है। जिस सदन में प्रतिपक्ष बहुमत में था, उसमें विधेयक पारित हो गया। भाजपा ने इस विधेयक के पारित होने में अगुवाई की और इस कानून के बारे में अपनी प्रतिबद्धता को अक्षुण्ण रखा।

परमाणु क्षति हेतु सिविल दायित्व विधेयक, २०१०

यह सत्र सरकार द्वारा परमाणु क्षति हेतु सिविल दायित्व विधेयक, 2010 की पुनः स्थापना के साथ समाप्त हुआ। भाजपा आश्वस्त है कि इस विधि के बारे में कोई राष्ट्रीय सहमति नहीं बनी है। इस विधि को अंतर्राष्ट्रीय दबाव के अधीन अनुमोदित करने के प्रयास किए जा रहे हैं। इस विधेयक का पास होना न्यायपूर्ण कार्रवाई के आधारभूत सिद्धांतों के विरूद्ध है। यदि यह बिल पास हो जाता है तो भारतीय नागरिक अपने अंतर्राष्ट्रीय समकक्षों के सम्मुख असमान हो जाएंगे। प्रतिपूर्ति के मामले में भी दोहरे मानक अपनाए गए हैं। इससे इस आधारिक सिद्धांत का क्षय हुआ है कि परमाणु दुर्घटना में प्रदूषण फैलाने वाला पीड़ित की क्षतिपूर्ति करेगा। जिस रूप में यह बिल ड्राफ्ट किया गया है, उससे भारतीय करदाताओं पर पीड़ितों की क्षतिपूर्ति करने का बोझ पड़ जाएगा, जबकि उपेक्षा के दोषी को सस्ते रूप में छूटने का मौका मिल जाएगा।

पृष्ठ 20 का शेष

Act, 2007 जैसे कानून बनाने पड़े ताकि लॉबिस्ट द्वारा नियंत्रित प्रणाली के कुप्रभावों को दूर किया जा सके। सपष्टतः, कोई भी प्रभावी रूप से काम करता प्रतीत नहीं हो रहा है। तब हम इस स्थिति से निपटने के लिए क्या इरादा करते है।

संयुक्त संसदीय समिति क्यों

इस मुद्दे की व्यापकता गंभीर है। सांविधानिक गारंटियों की पूरी स्कीम, इंडियन टैलीग्राफ एक्ट 1885 और टेलीफोन buging प्रौद्योगिकी के फैलते हुए क्षितिज को पुनः जांचे जाने की जरूरत है। उनके बीच असमानता को मिटाना होगा। क्या इस टैक्नॉलाजी ने असांविधानिक budding का रास्ता खोला या यह जानबूझकर किया गया। देश को जवाब चाहिए। एक संयुक्त संसदीय समिति एकमात्र फोरम है, जो इस इश्यू की व्यापकता की जांच कर सकती है तथा सुधारात्मक उपाय सुझा सकती है। ■

संसद में बहस

बजट सत्र के द्वितीय चरण में लोकसभा में जनगणना 2011 के संदर्भ में नियम 193 के अधीन चर्चा हुई। भाजपा की ओर से बहस की शुरूआत श्री अनंत कुमार ने की। तथा इसी बहस में लोकसभा में प्रतिपक्ष के उपनेता श्री गोपीनाथ मुण्डे ने भी चर्चा में भाग लिया। उन्होंने वर्तमान जनगणना नीति की कई खामियों को उजागर किया। वहीं इसी सत्र के दौरान राज्यसभा में गृहमंत्रालय के कार्यकरण विषय पर भी चर्चा हुई। बहस की शुरूआत राज्यभा में प्रतिपक्ष के नेता श्री अरूण जेटली ने की व इसी विषय पर श्री वेंकैया नायडू ने भी बहस में भाग लिया। हम यहां उक्त चर्चा के प्रमुख अंश प्रकाशित कर रहे हैं:–

''घोषित राष्ट्रीयता'' अथवा ''निर्धारित राष्ट्रीयता'' : अनंत कुमार

जनगणना 2011 के लिए विशिष्ट मापदंड निर्धारित किए जाने की आवश्यकता के बारे में श्री अनंत कुमार ने चर्चा आरंभ करते हुए कहाः जनगणना एक बहुत बड़ा कार्य है और गत 140 वर्षों से इसे किया जा रहा है। वर्ष 2001 में पूर्व प्रधानमंत्री ने लाल किले की प्राचीर से बोलते हुए कहा था कि बहुउद्देशीय राष्ट्रीय पहचान पत्र की महती आवश्यकता है। तदुपरान्त अगले दो वर्षों में तत्कालीन उप प्रधानमंत्री एवं गृह मंत्री के नेतृत्व में भारत के महा पंजीयक ने बहुउद्देशीय राष्ट्रीय पहचान पत्र पायलट परियोजना लागू की थी। उन्होंने 12 राज्य, एक संघ राज्य क्षेत्र, 2,175 ग्राम तथा 19 कस्बे का इसके लिए चयन किया तथा इस पायलट परियोजना को लागू किया।

इस पायलट परियोजना के पूर्ण होने के बाद आज तक इसकी रिपोर्ट प्रकाशित नहीं हुई है। उस अनुभव को भी नहीं बताया गया। वर्ष 2010 में इन्होंने राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर की शुरूआत की। राष्ट्रीय नागरिकता रजिस्टर के बारे में कोई रिपोर्ट उपलब्ध नहीं है। राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर की पायलट परियोजना के बारे में भी कोई रिपोर्ट नहीं है। अब जो वर्ष 2010 में हो रहा है वह वास्तव में जनगणना नहीं है। यह वास्तव में गृह सूचीकरण प्रक्रिया है। जनगणना के दो स्तर होते हैं। इसमें पहले गृह सूचीकरण किया जाता है। वर्ष 2011 में 28 फरवरी से वे जनगणना करते हैं। लेकिन किसी प्रकार से उन्होंने गृह सूचीकरण प्रक्रिया में राष्ट्रीय जनगणना रजिस्टर को भी सम्मिलित कर लिया है। माननीय गृह मंत्री ने 4 मार्च, 2010 की प्रेस वार्ता में कहा था कि अधिकतर भारत–बांग्लादेश सीमा पर खतरा है। लोग सीमा पार कर आते हैं और एन॰पी॰आर॰ में सूचीबद्ध हो जाते हैं। मैं गृह मंत्री से एक सीधा सवाल पूछना चाहता हूं कि वे निष्कर्ष पर कैसे पहुंचे कि पाकिस्तान सीमा से कोई खतरा नहीं है। म्यांमार सीमा, बांग्लादेश सीमा और नेपाल सीमा पर खतरा है। बड़े पैमाने पर घुसपैठ तथा अवैध आप्रवासन हुआ है।

घुसपैठियों की संख्या बढ़कर तीन करोड़ तक पहुंच गयी है। तीन करोड़ बांग्लादेशी भारत में घुस आए हैं और बंगाल, असम तथा बिहार में भरे हुए हैं। इतना ही नहीं गृह मंत्री भी ताकीद करेंगे कि ऐसे भी आंकड़े हैं कि वे लोग दक्षिण में बंगलौर और मद्रास तक पहुंच गए हैं। दिल्ली शहर में 19 लाख बांग्लादेशी हैं। मुम्बई एक बड़ा महानगर है जहां दुर्भाग्यवश लाखों बांग्लादेशी बसे हुए हैं।

असम को क्या हुआ? हम 24 जिलों में 2004 के मतदाताओं और 2005 के मतदाताओं की तुलना करते हैं। एक साल में मतदाताओं की संख्या में 14.51 प्रतिशत वृद्धि हुई है। यह एक बहुत गंभीर समस्या है। विभिन्न देशों में सीमा पार करने पर दंडित करने के बहुत कड़े कानून लागू हैं। परन्तु यदि कोई भारत की सीमा पार करता है तो वह कई प्रकार की सुविधाएं प्राप्त कर लेता है और एक दिन ऐसा भी आ सकता है जब वह लोक सभा के लिए निर्वाचित होकर आपके बगल में बैठ जाएं। घुसपैठ एक अनवरत प्रक्रिया रही है।

परन्तु जब श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी भारत के प्रधान मंत्री थे तब उन्होंने कहा था कि हम एक राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर तैयार करना चाहते हैं न कि राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर। भारत में रहने वाला कोई भी व्यक्ति

चाहे वह विदेशी ही क्यों न हो, वह राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर की सूची में अपना नाम लिखवा सकता है। उसकी राष्ट्रीयता सत्यापित नहीं की जाएगी। किन्तु एन॰ डी॰ ए॰ सरकार ने यह कहा था कि केवल भारत के नागरिक ही इसमें सूचीबद्ध किए जायेंगे। राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर के माध्यम से कोई भी व्यक्ति अपना नाम पंजीकृत कराकर नागरिक अधिकार प्राप्त कर सकता है। मैं सभा का ध्यान एक अत्यंत प्रसिद्ध मामले.सर्वानन्द सोनोवाल बनाम भारत सरकार.की ओर आकर्षित करना चाहता हूं जिसमें माननीय उच्चतम न्यायालय ने कहा था कि राज्यपाल की रिपोर्ट, शपथ पत्र और रिकॉर्ड में रखी गयी अन्य सामग्रियों से यह पता चलता है कि लाखों बांग्लादेशी नागरिक अवैध रूप से अंतर्राष्ट्रीय सीमा पार करके भारत में प्रवेश कर गए हैं। मैं माननीय गृह मंत्री का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूं। यह बाह्य अतिक्रमण के साथ–साथ आंतरिक अव्यवस्था का भी मामला है। जनगणना केवल जनसंख्या का आकलन है। किंतु हमें एक राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर की आवश्यकता है न कि राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर की। जनगणना कर्मियों को जो फॉर्म दिए जा रहे हैं उसमें कहा गया है ''घोषित राष्ट्रीयता''।

मूल प्रश्न यह है कि कि ''घोषित राष्ट्रीयता'' होना चाहिए अथवा ''निर्धारित राष्ट्रीयता'' होना चाहिए। ''घोषित राष्ट्रीयता'' का अर्थ होगा कि कोई भी व्यक्ति जो देश में आता है वह जनगणना कर्मियों के माध्यम से स्वयं को यहां का नागरिक घोषित कर सकता है और रजिस्टर में अपना नाम लिखवा सकता है।

उन्हें विशिष्ट पहचान संख्या और विशिष्ट पहचान पत्र भी प्राप्त हो जाएगा। जनगणना कर्मियों को दिए गए दिशानिर्देशों में यह कहा गया है कि अपनी नागरिकता बताने वाले व्यक्ति से कोई प्रश्न मत पूछिए। इसके सत्यापन का तरीका यह रखा गया है कि किसी गांव के राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर तैयार होने के बाद उसे गांव में एक सार्वजनिक स्थान पर चिपका दिया जाएगा और यदि किसी को इस पर आपत्ति होगी तो वह उसे दर्ज करा सकेगा। जिस गांव में सीमा पार से आकर बसने वाले 60 प्रतिशत बांग्लादेशी हों वहां कौन आपत्ति दर्ज कराएगा। इस देश को यह फैसला करना होगा कि हम आतंकवाद के खिलाफ हैं और हम भारत में हो रही घुसपैठ के खिलाफ हैं।

इस प्रश्न पर सभा में विभाजन नहीं होना चाहिए। सभा को यह कहना चाहिए कि हम भारत पर हो रहे इस मौन आक्रमण के विरुद्ध हैं और हम घुसपैठियों के खिलाफ हैं।

जाति के आधार पर जनगणना जरूरी है : गोपीनाथ मुंडे

सभापति महोदय, मैं ऐसा मानता हूं कि आज इस सदन में एक ऐतिहासिक बहस हो रही है, क्योंकि इस देश में 54 प्रतिशत ओबीसीज हैं। इसका मतलब यह है कि 54 करोड़ लोगों के जीवन से संबंधित विषय पर हम बहस कर रहे हैं। इस विषय पर सरकार ने फैसला नहीं किया है। वर्ष 1931 में एक बार सिर्फ जनगणना हुई थी। ओबीसीज की जनसंख्या कितनी है, 80 वर्ष से इस बारे में जनगणना नहीं हुई है। अगर हम अब भी ओबीसीज की जनगणना नहीं करेंगे तो ओबीसीज को सोशल–जस्टिस देने के लिए और इंतजार करना पड़ेगा और यह उन पर अन्याय होगा। यह जनगणना की मांग क्यों कर रहे हैं? वर्ष 2007 में आईआईटी में ओबीसीज को आरक्षण देने के बाद, एक पब्लिक लिटिगेशन दाखिल हुई थी, उस समय कोर्ट ने ओबीसीज की पॉपुलेशन के बारे में सरकार को तथ्य कोर्ट को देने के लिए कहा। सरकार ने कहा कि आजादी के बाद हमारे पास ओबीसीज पॉपुलेशन के कोई स्टेटिस्टिक नहीं हैं। इसलिए आरक्षण देने के लिए, कोई स्टेटिस्टिक उपलब्ध नहीं है तो कितना परसेंट आरक्षण दें, यह तय नहीं किया जा सकता। उस समय बहस में एडीशनल एडवोकेट जनरल ने भरी कोर्ट में कहा कि हां, सरकार को ओबीसीज की जनगणना करनी चाहिए। अब जब जनगणना हो रही है तो ओबीसीज की जनगणना क्यों नहीं की जा रही है? अभी हमारे माननीय सदस्य कह रहे थे कि गुणवत्ता के आधार पर समाज में न्याय मिलना चाहिए। मुझे आप दूसरे मनु दिखाई दे रहे हैं। आज समाज में समानता कहां है? आप दलित होते हुए, ओपन सीट पर चुनकर आये, मैं आपका अभिनंदन करता हूं। लेकिन हमारे संविधान में एससीएसटी को आरक्षण नहीं होता, तो क्या बाकी सदस्य जीतकर आ सकते थे? आपकी सोच सच्चाई से कोसों दूर है। आपको न्याय मिला, इसलिए सब को अन्याय में मत घसीटिये।

सभापति महोदय, क्या आज छुआछूत बंद हो गयी है? नहीं हुई है। क्या आज दलितों को मंदिर में प्रवेश करने दिया जाता है? बाबा साहेब अम्बेडकर को नहीं, हर अम्बेडकर का प्रवेश नकारा जा रहा है। छोड़िये कल की बातें, परसों क्या हरियाणा में दलितों के घर नहीं जलाए गये? महाराष्ट्र

के किरलांजी में बहन, बेटी, मां को बेकपड़ा करके प्रोसेशन निकाल कर जलाया गया। मैं किसी सरकार को दोष नहीं दे रहा हूं। समाज की वास्तविकता बता रहा हूं। हम हर दिन मंच से कहते हैं कि छूत–अछूत सब बंद हो गया है, हम सब बराबर हैं। यह सिर्फ कहने की बात है, कहने और करने में फर्क है, वास्तविकता इससे बिलकुल उलट है। आप कास्ट लेस समाज का निर्माण करना चाहते हैं, मैं पूछना चाहता हूं, मैं पुनर्जन्म में विश्वास नहीं रखता हूं, लेकिन अगर मुझे हिंदुस्तान में फिर से जन्म लेना है और भगवान को अगर मैं प्रार्थना करूं कि बिना जाति के घर में मुझे जन्म दो, तो क्या यह संभव है? कौन सा ऐसा घर है, जो बिना जाति का है। अगली बार यादव के घर में जन्म लूंगा और यादव मुंडे के घर में जन्म लेगा। ओबीसी कास्ट नहीं है, यह क्लास है। शेड्यूल कास्ट एक क्लास है, शेड्यूल ट्राइब एक क्लास है और ओबीसी भी एक क्लास है, क्योंकि इनमें कई जातियां आती हैं। संविधान ने एससी और एसटी को आरक्षण दिया है, लेकिन ओबीसी को आरक्षण नहीं दिया। काकेलकर कमीशन बनी और विभिन्न प्रदेशों को अधिकार दिया कि वे अपने यहां ओबीसी को अधिकार दें। पहले नहीं था, लेकिन अमेंडमेंट आया। मैं कहना चाहता हूं कि इस देश मद्रास और कर्नाटक ऐसे प्रदेश हैं, जिन्होंने आजादी के पहले भी आरक्षण दिया था। मैं महाराष्ट्र से हूं, जहां से साहू महाराज ने ओबीसी, एससी को आजादी से पहले आरक्षण दिया था और डॉ. बाबा साहब अम्बेडकर को स्कोलरशिप साहू महाराज ने बड़ौदा से दी थी। मैं ऐसा नहीं मानता हूं कि सत्ता के कारण कास्ट सिस्टम गड़बड़ हुई है, लेकिन वास्तविकता है कि जात कभी जाती नहीं है। कई लोगों ने ईसाई धर्म स्वीकार किया, कई मुगलों के जमाने में मुस्लिम बने। जाति के आधार पर जनगणना की आवश्यकता इसलिए है क्योंकि पिछड़ापन जाति से जुड़ा है और जाति पिछड़ेपन से जुड़ी है। जो गांव में रहते हैं, वे पिछड़े हैं, जिनको पीने का पानी भी उपलब्ध नहीं है। जिन्होंने सड़क नहीं देखी, बिजली नहीं देखी। जिनके पास तन ढकने के लिए वस्त्र भी नहीं हैं। ये लोग पिछड़े हैं। आप 63 साल की आजादी के बाद भी उन्हें न्याय नहीं देना चाहते हैं। जनगणना में ओबीसी की गिनती नहीं करना, ओबीसी को सामाजिक न्याय नहीं देने के बराबर है। सरकार सोशल जस्टिस देना नहीं चाहती है। बाबा साहब अम्बेडकर, महात्मा ज्योतिबा फूले, साहू महाराज नहीं होते, तो यह वर्ग संगठित न होता। इनके पास लड़ाई लड़ने की ताकत भी न रहती। उन्होंने समता का विचार रखा, समानता का विचार रखा।

हमारे देश में विभिन्न जातियां होते हुए भी क्या गड़बड़ है, यह अच्छाई है या बुराई है, यह सोचने का समय नहीं है। अलग जाति, अलग पहनावा, अलग भाषा, अलग प्रदेश फिर भी हमारा एक देश। इसलिए पिछड़े हुए वर्गों की देशभक्ति के बारे में आशंका जताना गलत है। किसी भी काम के लिए वे तैयार हैं। यह पिछड़ापन सालों से है, सदियों से है। वेलफेयर स्टेट गवर्नमेंट में उन्हें न्याय देना चाहते हैं या नहीं, यह सवाल हमारे सामने है। काकेलर कमीशन के बाद मंडल आयोग आया। मंडल आयोग ने ढूंगा कि कितनी जातियां हैं। 3743 जातियां हैं और इसमें उपजातियां भी हैं। इतनी जातियां हैं कि जयप्रकाश नारायण ने जाति तोड़ो आंदोलन चलाया। कई लागों ने इंटरकास्ट मैरिज की, मैंने भी की। अब इंटरकास्ट शादी करने वालों की जाति अलग हो गई है।

मंडल आयोग ने कहा कि 52 परसेंट ओबीसी हैं, उन्हें 52 परसेंट आरक्षण मिलना चाहिए लेकिन कोर्ट ने 50 परसेंट आरक्षण का फैसला किया। क्यों? जिन लोगों को आज तक सोशल जस्टिस नहीं मिला, सामाजिक न्याय नहीं मिला, जो दूसरों की बराबरी के नहीं हैं, उन्हें न्याय देने के लिए आरक्षण आया। उन्हें आरक्षण किस आधार पर दिया जाता है? उन्हें केवल जाति के आधार पर आरक्षण दिया जाता है इसलिए जनगणना आवश्यक है।

वर्ष 2004 में रेनके आयोग की नीति माननीय अटल जी की सरकार में नियुक्त हुई थी, उन्होंने 2008 में रिपोर्ट दी, उनमें ओबीसी जातियां आती हैं। उन्होंने कहा कि 47 परसेंट ओबीसी जाति हैं। कई लोगों के मतदाता सूची में नाम नहीं हैं और उन्होंने नोमेडिक ट्राइब्स के लिए नियुक्त किया था। सरकार ने रिपोर्ट लागू नहीं की। रेनके आयोग की रिपोर्ट सरकार को लागू करनी चाहिए और ओबीसी को न्याय देना चाहिए। उनके पास कोई घर या जमीन नहीं है। कालेलकर, मंडल और रेणके आयोग का कहना है कि ओबीसी की जनसंख्या कितनी है उसका अंदाजा किसी को नहीं है। क्या यह देश साइंटिफिक रूप से तैयार होगा? किसी को कहने का कोई अधिकार नहीं है। क्या साइंटिफिक रूप से देश तैयार होगा कि यह जनसंख्या है और इस जनसंख्या के आधार पर विभिन्न प्रदेशों में आरक्षण दिया जा सकता है? कांस्टीट्यूशन में शेड्यूल कास्ट के लिए शेड्यूल है, शेड्यूल ट्राइब के लिए शेड्यूल है। कांस्टीट्यूशन में पार्लियामेंट और स्टेट गवर्नमेंट के लिए शेड्यूल है।

माननीय राजीव गांधी जी ने कांस्टीट्यूशन में परिवर्तन करके पंचायती राज को लागू किया। मेरी मांग है कि जिस तरह से शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स के लिए शेड्यूल है उसी तरह से ओबीसी के लिए शेड्यूल होना चाहिए। इनके

लिए अलग मंत्रालय भी होना चाहिए। इनके लिए सब जातियां बराबर हैं। क्रीमी लेयर लागू है, शेड्यूल कास्ट्स और शेड्यूल ट्राइब्स के लिए क्रीमी लेयर नहीं है लेकिन ओबीसी के लिए है। मेरा बेटा ओबीसी की सहूलियत नहीं ले सकता, यादव जी का बेटा ओबीसी की सहूलियत नहीं ले सकता क्योंकि चांस बचा ही कहां है। क्रीमी लेयर बनाई है जिसके कारण उन्हें अपनी सहूलियतें ही नहीं मिलती हैं।

मैं एक ही बात कहना चाहता हूं कि यहां जो तथ्य बताए गए, ओबीसी का तथ्य बताया गया। शेड्यूल कास्ट्स के लिए 13 परसेंट आरक्षण है, शेड्यूल ट्राइब्स को 9 परसेंट और कुछ राज्यों में सात परसेंट आरक्षण है। क्या उतने लोग सर्विस में हैं? सच्चर आयोग से मुसलमानों की स्थिति का जायजा लिया गया है। मैं मांग करता हूं कि शेड्यूल कास्ट्स, शेड्यूल ट्राइब्स और ओबीसी के लिए आरक्षण आजादी के 63 सालों में तो मिले। 13 परसेंट था लेकिन चार परसेंट मिला, ओबीसी का तो 2.4 परसेंट है जबकि आरक्षण 27 परसेंट है। कितना मिला है? कागजों पर फैसले करने से न्याय नहीं मिलता है। न्याय तब कहा जाएगा जब उन्हें उनका अधिकार मिलेगा। आज तक उन्हें न्याय नहीं मिला है। यह लड़ाई सोशल जस्टिस की है, जनगणना में नाम लिखने की नहीं है। मैं दोहराना नहीं चाहता हूं, सबका नाम लिख रहे हैं तो इस जाति का क्यों नहीं लिख रहे हैं? जाति बन जाने से ढकने वाली नहीं है। मुझे मालूम नहीं कि सरकार क्यों सोच रही है? अब संघर्ष भी हो रहे हैं। अब अमीरी और गरीबी में अंतर बढ गया है। पिछड़ी जातियां 63 परसेंट हो गई हैं, इसका जिम्मेदार कौन है? मैं चरण दास जी से पूछना चाहता हूं कि अगर 63 साल में सबका बराबरी का दर्जा होता, सबको समान अवसर मिलता तो ओबीसी आरक्षण नहीं मांगते। ये ज्यादा पिछड़े हुए हैं।

न तो वे किसी एजूकेशन के क्षेत्र में हैं और न पोलिटिक्स में हैं। हर स्तर पर यदि वे पिछड़े रहेंगे, 54 परसैन्ट पापुलेशन यदि विकास, प्रगति और सुविधा से दूर रहेगी तो देश आगे कैसे बढ़ेगा। मुझे लगता है कि ओबीसी को राष्ट्र की मुख्य धारा में लाकर उन्हें आरक्षण सुविधा देनी चाहिए और उनकी जनगणना करनी ही चाहिए।

सभापति महोदय, ओबीसी की जनगणना की मांग हम इसलिए कर रहे हैं, क्योंकि सरकार को यह अवसर मिला है। मोइली जी जिस मंत्रिमंडल में तुम्हारी बात नहीं सुनी जाती है तो आप ऐसे मंत्रिमंडल में क्यों बैठे हो? ओबीसी के लिए एक लड़ाई होने दो। लोग आपको सिर पर उठा लेंगे।

महोदय, यह मामला जनसंख्या का है। ओबीसी की जनगणना क्यों नहीं होती? आपको केवल एक कालम ही भरना है शेड्यूल्ड कास्ट, शेड्यूल्ड ट्राइब्स और ओबीसी। वह ओबीसी लिखकर अपनी कास्ट लिखेगा। उसमें सरकार का क्या नुकसान है। किसी ने मांग नहीं की, लेकिन आज सारे ओबीसी देश में मांग कर रहे हैं कि सैन्सज होनी चाहिए। यह मांग सब तरफ से उठ रही है और सरकार क्या गूंगी–बहरी है कि उसके कान पर जूं तक नहीं रेंग रही है कि आज सब तरफ से ओबीसी आवाज उठा रहे हैं। मैं सरकार से कहना चाहता हूं कि आज मंत्री महोदय जब जवाब देंगे तो उन्हें यह घोषणा करनी चाहिए कि ओबीसी की अलग जनगणना होगी। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो 75 परसैन्ट पापुलेशन का गुस्सा आपके ऊपर फूटेगा। आज आपकी सरकार है, सरकार चाहे किसी भी दल की हो। सरकार का काम होता है समाज को न्याय देना और वह न्याय देने का काम आप करें, न्याय देने का फर्ज पूरा करें। एक कांस्टीट्यूशन रिस्पांसिबिलिटी आप पर आई है, जिस कांस्टीट्यूशन में पिछड़े हुए वर्गों को न्याय देने की भूमिका डा.बाबा साहेब अम्बेडकर ने लिखी है, उस बाबा साहेब अम्बेडकर का सपना और भारत के सभी गरीब लोगों की आशा और आकांक्षा है कि लोकतंत्र में हमें न्याय मिलेगा, इस विश्वास के साथ 63 साल उन्होंने बिताये हैं, उनका वह विश्वास आप कभी न कभी पूरा करो। वे ज्यादा कुछ नहीं मांग रहे हैं. वे कह रहे हैं कि केवल हमारी जनगणना करो। हम इस देश के नागरिक हैं, आप हमारी भी गिनती करो। इसलिए मेरा निवेदन है कि सरकार एक बार यह गिनती अवश्य करे। इसी के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

कांग्रेस की वोट बैंक राजनीति ने आतंकवाद से लड़ने की क्षमता कम की : अरुण जेटली

26/11 आतंकवादी हमले सम्बंधी मुकदमे का निर्णय हताशापूर्ण है। मुख्य दोषी पर आरोप सिद्ध हो पाए है, परन्तु दो कथित षड्यंत्रकारियों को बरी कर दिया गया है।

स्पष्ट चित्र

आज स्पष्ट चित्र क्या है? हम इससे बदतर की तो उम्मीद नहीं ही कर सकते थे। स्पष्ट है कि भारी भरकम साक्ष्य और अपराध करते हुए मुख्य अभियुक्त की गिरफ्तारी ने अभियोजन पक्ष का काम आसान कर दिया। उसे इसके लिए अधिक मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ी।

बाकी सब कुछ तो बुरी खबर रही। जो अभियुक्त सक्रिय षड्यंत्रकारी रहे और पाकिस्तान में हैं, वह तो इस निर्णय को देख कर जश्न मना रहे होंगे। हमारी उन तक पहुंच ही नहीं है। दूसरे षड्यंत्रकारी, जो इस समय अमरीका की हिरासत में हैं, उन्हें कभी भी भारत नहीं लाया जा सकेगा।। सह–षड्यंत्रकारी, जिनका भारत में मुकदमा चला, उन्हें यह देखते हुए बरी कर दिया गया कि उनके खिलाफ साक्ष्य 'संदिग्ध प्रकार' के हैं। ऐसे ऐतिहासिक अपराध में केवल मात्र कसाब पर अपराध साबित हो पाया।

26/11 हमले के बाद, गृह मंत्रालय ने हमें भरोसा दिलाया था कि राष्ट्रीय अन्वेषण एजेंसी (एनआईए) अब सर्वोत्कृष्ट जांचकर्ता बन जाएगी। हमें बताया गया था कि विधिविरूद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम (यूएपीए) को कठोर बनाया जाएगा। भाजपा संशोधनों से खुश नहीं है। ये संशोधन बहुत कम हैं। हम तो पोटा के कठोर जमानती प्रावधान चाहते थे और चाहते थे कि टाडा और पोटा वाले सहमति की अनुमत्यता सम्बंधी कानूनों को लागू किया जाए। गृह मंत्री ने भारतीय जांचकर्ताओं को आतंकवाद से लड़ने के लिए पर्याप्त वैधानिक उपकरण प्रदान नहीं किए हैं। यूपीए सरकार ने वोट बैंक राजनीति को प्रमुखता देते हुए राष्ट्रीय सुरक्षा के साथ समझौता किया है।

भारत में आतंकवाद विरोधी कानूनों का इतिहास

श्री राजीव गांधी ने टाडा कानून के निर्माता थे। 1993 में मुम्बई में आतंकवादी हमलों की शुरूआत से टाडा को निरस्त करने की प्रक्रिया शुरू होने लगी। वोट बैंक की खातिर इसे निरस्त कर दिया गया और इस प्रकार आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई कमजोर की गई। एनडीए सरकार ने पोटा कानून बनाया ताकि काननी रूप से ऐसा पर्याप्त ढांचा खड़ा किया जा सके जिससे आतंकवाद सम्बंधी जांच हो सके और सजा दी जा सके। यूपीए ने वोट बैंक की खातिर पोटा निरस्त कर दिया। श्री शिवराज पाटिल और पी. चिदम्बरम द्वारा दो किश्तों में किए गए संशोधनों से बहुत कुछ हासिल नहीं हो पाया।

आतंकवादी हमलों की प्रक्रिया कुछ इस प्रकार की रहती है कि साधारणतया फिदायीन लोग या तो मारे जाते हैं या फिर धटनास्थल से बच निकलते हैं। वस्तुतः सह–षड्यंत्रकारी लोग ही हमलों की योजना बनाते हैं या उन्हें रणनीतिक समर्थन प्रदान करते हैं और साधारणतया उन पर मुकदमा चलाया जाता है और दण्डित किया जाता है। 26/11 का हमला ऐसा दुर्लभ मामला है जिसमें एक फिदायीन को घटनास्थल पर गिरफ्तार किया गया। योजनाकर्ताओं और रणनीतिक समर्थन देने वालों के खिलाफ साक्ष्य जुटाने के लिए केवल दोष स्वीकार करना ही वह साक्ष्य हो सकता है जिसे वे वरिष्ठ अधिकारियों के सामने कबूल करते हैं, जिससे मुकदमे में सहायता मिलती है। राजीव गांधी हत्या मामले में, वास्तविक हत्यारे घटनास्थल पर ही मारे गए। अपराध कबूल करने से ही अन्य षड्यंत्रकारियों को दण्ड मिला। संसद पर हमले या फिर अक्षरधाम हमले में भी वास्तविक हत्यारे घटनास्थल पर मारे गए। पोटा में उपलब्ध प्रावधानों से ही अपराध स्वीकृति के कारण षड्यंत्रकारियों को दण्ड मिला। जब पोटा निरस्त किया गया और बाद के संशोधनों में भी भाजपा ने बार–बार सरकार को चेताया था कि वह हमारे जांचकर्ताओं और अभियोजकों को षड्यंत्रकारियों को सजा दिलाने के लिए इन कानूनी हथियारों को कमजोर कर रही है। अब इसका स्वाद सामने ही है।

हमारे कानूनी निर्माताओं की कमजोरी

26/11 के हमलों के षड्यंत्रकारियों के खिलाफ दायर मामले देश के सामान्य कानूनों के अन्तर्गत किए गए। आतंकवाद से लड़ने के लिए सामान्य कानून पर्याप्त नहीं हैं। यहां तक कि यूरोप और अमरीका जैसे उदार लोकतांत्रिक देशों में भी विशेष कानून बनाए जाते हैं। परन्तु कांग्रेस पार्टी की वोट बैंक राजनीति के कारण भारत में आतंकवाद–विरोधी विशेष कानूनों के निर्माण को रोक रखा गया है। इसका प्रभाव यही है कि हमारे जांचकर्ताओं की अपराध पुनर्निर्माण और गुप्त षड्यंत्रों सम्बंधी सच्चाई का पता लगाने की क्षमता समाप्त हो गई है। आतंकवादी अपराध से पहले षड्यंत्रकारियों के दिमाग में छुपी बातों का न तो कोई साक्ष्य होता है, न ही इसकी वीडियो रिकार्डिंग हो सकती है। वे या तो पारिस्थितीय साक्ष्यों से प्रमाणित होती है या अभियुक्तों में से कोई एक अभियुक्त इसे प्रमाणित करता हैं। यदि आप वरिष्ठ अधिकारियों के सामने अपराध स्वीकृति को जांचकर्ताओं के लिए अनुमति के दायरे से बाहर कर देंगे तो इसके परिणाम वैसे ही होंगे जैसे कि आपने कल के दिए गए निर्णय में देखे हैं।

जब तक आपको साक्ष्य उपलब्ध नहीं होगा तो आप कैसे 26/11 के हमले के षड्यंत्र के कराची वाले अंश को प्रमाणित कर पाएंगे? इस मामले में, कम से कम हमारे पास कसाब की न्यायिक अपराध–स्वीकृति थी। यदि किसी अन्य मुकदमे में यह भी न होती तो क्या होता?

गृहमंत्री को एक बार फिर गम्भीरता से इस पर मनें विचार करना चाहिए। क्या इन कथित षड्यंत्रकारियों का बरी होना, भारतीय जांचकर्ताओं और अभियोजकों की असफलता है? इसका स्पष्ट उत्तर है– नहीं। यह तो भारत की संसद की विफलता है, जिसमें सत्ताधारी यूपीए सरकार ने पर्याप्त

कानूनी बुनियादी ढांचा नहीं बनाया, जिससे पर्याप्त साक्ष्य जुटाए जा सके और आतंक से लड़ा जा सके। यूपीए की वोट बैंक के मजबूरियों के कारण ही हमारे अभियोजक और जांचकर्ता विफल रहे।

आतंकवाद की गंभीरता को समझे यूपीए सरकार : वेंकैया नायडु

यह एक महत्वपूर्ण मंत्रालय है। यह देश के सामने आ रही चुनौतियों के कारण और भी महत्वपूर्ण हो गया है। देश अनेकों प्रकार की चुनौतियों का सामना कर रहा है। यदि देश की सीमा के पार तनाव है, यदि देश के भीतर तनाव है तो आप विकास की ओर ध्यान नहीं दे पायेंगे। दुर्भाग्यवश, स्वतंत्रता प्राप्ति के 60 वर्ष के बाद भी हमारे सामने यह सभी चुनौतियां मौजूद हैं और यह चुनौतियां दिन–प्रतिदिन बड़ी होती जा रही हैं। हममें विश्व की एक आर्थिक महाशक्ति बनने की क्षमता और योग्यता है।

हमारी प्रगति इसलिए बाधित रहती है क्योंकि हमारा ध्यान सर्वथा वामपंथी अतिवाद, आतंकवाद और विद्रोह की चुनौतियों का सामना करने की तरफ लगा रहता है। हमारा देश एकताबद्ध होना चाहिए। राजनैतिक मतभेदों को बीच में नहीं आना चाहिए। यह सही समय है, जब हमें निष्कर्ष पर पहुंचना चाहिए। जब तक विपक्षी दल और सत्तारूढ़ दल एक समझ नहीं बनाते हैं, तब तक हम अपना लक्ष्य प्राप्त करने में सफल नहीं हो सकते हैं। यद्यपि व्यवस्था में त्रुटियां विद्यमान हैं, तो भी हमें इस व्यवस्था की भर्त्सना नहीं करनी चाहिए। कुछ लोग स्वायत्तता की चर्चा कर रहे हैं। देश के अन्दर स्वायत्तता कैसे दी जा सकती है? इन ताकतों की कार्यवाही को उचित ठहराना और उन्हें स्थानीय अभिलाषाएं कहना, राष्ट्र के हित में अत्यंत अन्यायपूर्ण बात होगी। मानवाधिकार उन लोगों के लिए नहीं है जो असहाय लोगों को मारते हैं। सभी राजनीतिक दल इस बात को मानते हैं कि सत्ता ''बैलट'' से आती है न कि ''बुलेट'' से। दृढ़ वक्तव्य दिये जा रहे हैं परन्तु तत्पश्चात् कोई कार्यवाही नहीं की जा रही है। सरकार के भीतर भी, लोग भिन्न–भिन्न बातें कर रहे हैं। तो आप यह प्रचालन कैसे सम्पन्न कर सकते हैं? आपकी एक सुस्पष्ट नीति होनी चाहिए।

आतंकवाद का कोई धर्म नहीं है। बहस को विकास पर केन्द्रित होना चाहिए। समझ की गुणवत्ता, कार्यवाही में एकबद्धता, लोगों की चिंताओं को हल करने में ईमानदारी की अपेक्षा है। जो भी कमियां हों इन लोगों द्वारा अपनाए गए तरीकों का अनुमोदन नहीं किया जा सकता है। उनके द्वारा बातचीत का उपयोग स्वयं को पुनर्गठित करने के लिए किया जा रहा है। हमें इस संबंध में स्पष्ट होना चाहिए। अनेक नेताओं पर हमला किया गया है, बड़ी संख्या में लोग बिना बात मारे गये। उन्हें चुनाव लड़कर सरकार को सत्ताहीन करना चाहिए। परन्तु आप केवल लोगों को हथियारों द्वारा डराना जानते हैं। यदि राजनेता भ्रमित हैं तो किसी सिपाही को अपना जीवन क्यों न्यौछावर करना चाहिए? वामपंथी अतिवाद हमारी राजनीतिक व्यवस्था के लिए चुनौति है। हमारी त्रि–आयामी नीति होनी चाहिए। हमें लोगों को शिक्षित करना चाहिए जमीनी स्तर पर हमारी आसूचना और हमारे सशस्त्र बलों को सुदृढ़ करना चाहिए। तीसरे, हमें लोगों की समस्याओं को हल करना चाहिए। सरकार को राज्यों की सहायता करनी चाहिए।

37 बटालियनों का वायदा किया गया था किन्तु मात्र 24 बटालियनें स्वीकृत की गई हैं। मैं माननीय गृह मंत्री से अनुरोध करूंगा कि इस प्रक्रिया को तेज करें। हमारी आसूचना प्रणाली को सुदृढ़ करने की आवश्यकता है। हमने 24/11 से कोई पाठ नहीं पढ़ा है। हमें और अधिक सतर्क होना चाहिए। डेविड हेडली के संबंध में हमारी आसूचना प्रणाली पूरी तरफ विफल रही है। आपको राज्यों को विशिष्ट आदान प्रदान करने में समर्थ होना चाहिए। राज्यों का आसूचना तंत्र सीमित है। जब आतंक से लड़ने का मुद्दा आता है तो धर्म का प्रश्न क्यों उठाया जाता है? कोई धर्म आतंक को अपना लक्ष्य साधने का माध्यम स्वीकार नहीं करता है। वे अल्पसंख्यकों के उत्पीड़न की बात क्यों करते हैं? आपने पाकिस्तान से बातचीत शुरू की और तत्पश्चात् क्या हुआ, उसके बारे में कोई नहीं जानता है। पाकिस्तान 26/11 हमले का कर्ता–धर्ता है। देश में किसी को कसाब के साथ सहानुभूति नहीं है।

'आईएसआई' जम्मू और कश्मीर में गड़बड़ी फैलाने की कोशिश कर रहा है। हाल के वर्षों में, नकली नोटों का खतरा कई गुना बढ़ गया है। पैसा हवाला के जरिए हमारे शेयर बाजार में आ रहा है। मैं यह जानना चाहता हूं कि उनको धन प्रदान करने वाले स्रोत कौन से हैं? 2008 की तुलना में 2009 में घुसपैठ में काफी वृद्धि हुई है। सीमापार घुसपैठ में अत्यधिक वृद्धि हुई है। सरकार को सेना वापसी की अपनी नीति पर पुनर्विचार करना चाहिए। आपको असम में अतिवादी संगठनों के प्रति सख्त होना चाहिए। सरकार ने अवैध घुसपैठियों पर सकारात्मक कार्यवाही नहीं की है। उच्चतम न्यायालय ने 'आईएमडीटी' अधिनियम को असंवैधानिक

शेष पृष्ठ 30 पर

बदलते दौर में हमारी कृषि नीति

Hkkjr Mkxjk

एक ओर कृषि नीति के सामने महंगाई व किसानों के कर्ज की ज्वलंत समस्याएं हैं, तो दूसरी तरफ जलवायु बदलाव के संकट से जूझना भी जरूरी है। वैसे तो पहले भी यह बार–बार अहसास हो रहा था कि न्याय, समता व पर्यावरण के हितों की रक्षा के लिए, खेती में टिकाऊ प्रगति के लिए कृषि नीति में बदलाव जरूरी हैं। अब जब जलवायु बदलाव के कुछ दुष्परिणाम नजर आने लगे हैं तो न्याय व पर्यावरण रक्षा से जुड़े ये सवाल महत्वपूर्ण बन गए हैं।

मेरा मानना है कि सरकारी नीतियों का झुकाव सबसे कमजोर वर्गो व छोटे किसानों के पक्ष में होना चाहिए। यह झुकाव पर्यावरण रक्षा, आपदा बचाव व राहत कार्यो को बेहतर करने के प्रति भी होना चाहिए। नए खतरों व चुनौतियों का सामना करने के लिए सरकार को इस तरह का बदलाव अपने बजट वितरण में और प्रशासनिक प्राथमिकताओं में भी करनी होगी। सरकार को चाहिए कि वह बजट वितरण में बदलाव करके इसका ज्यादा हिस्सा कृषि व पर्यारवरण रक्षा के लिए उपलब्ध कराए। सस्ती व टिकाऊ खेती के लिए सरकार की नीतियों में इस तरह का बदलाव बहुत जरूरी है। रासायनिक खाद व कीटनाशक पर दिए जाने वाले निरर्थक व हानिकारक सब्सिडी की बजाय अपने तमाम उपलब्ध वित्तीय, प्रशासनिक, वैज्ञानिक संसाधनों का उपयोग जैविक कृषि को बढ़ावा देने के लिए किया। जैविक कृषि अपनाने वाले किसानों की मदद की जाए। भारत के गांवों को जैविक खेती के साथ कम खर्च की खेती व आत्मनिर्भरता की खेती जोड़ना जरूरी है। जो खेती स्थानीय संसाधनों के बेहतर उपयोग पर आधारित है वही आत्मनिर्भर है, वही सस्ती भी है। यहां संदर्भ छोटे किसानों का है जिनके पास खर्च करने की क्षमता बहुत कम होती है। रासायनिक खाद व कीटनाशकों पर निर्भरता से किसानों पर कर्ज बढ़ा है। स्थानीय तौर पर उपलब्ध गोबर, फेसल अवशेष, गोमूत्र, नीम आदि के बेहतर उपयोग व साथ ही जैव–विविधता व उचित फसल चक्रों को अपनाकर भूमि के प्राकृतिक उर्वरता को बचाए रखने व हानिकारक कीटों से निजात पाने का उद्देश्य प्राप्त करना चाहिए।

जैविक कृषि के प्रसार को हमें अलगाव में नहीं देखना है, अपितु जल व नमी के संरक्षण, पेड़ों व चरागाहों की हरियाली और पशुधन की समृद्धि को इस तरह साथ–साथ बढ़ाना है, जिसमें जैविक कृषि के पनपने की अच्छी संभावनाएं बन सकें। इसके अलावा फसलों व उनकी किस्मों की विविधता व उचित फसल चक्र पर भी ध्यान दिया जाना जरूरी है। हरित क्रांति के नाम पर मूलतः फसलों की वह किस्में फैलाई गई जो अधिक रासायनिक खाद और पानी के उपयोग के आधार पर उत्पादकता बढ़ाने की क्षमता रखती थीं। इस कारण इन बीजों के आधार पर जैविक कृषि का विस्तार करने के प्रयास में एक विरोधाभास पैदा हुआ। अब हमें एक बार फिर से परंपरागत बीजों की विरासत की ओर लौटना होगा और इसके आधार पर जैविक खेती के माध्यम से बेहतर उत्पादकता हासिल करने का प्रयास करना होगा।

डा. आरएच रिछारिया जैसे शीर्ष वैज्ञानिकों के अनुसंधान से यह स्पष्ट हो गया है कि परंपरागत किस्मों में अनेक ऊंची उत्पादकता देने वाली किस्में मौजूद हैं जो रासायनिक खाद व कीटनाशक दवा के उपयोग के बिना ऊंची उत्पादकता देने में सक्षम हैं। सरकार को भूमि सुधार के क्षेत्र में अपना ध्यान पूरी तरह भूमिहीनों को भूमि उपलब्ध करवाने व उन्हें सफल किसान बनाने पर केंद्रित करना चाहिए। इन भूमिहीनों के साथ उन्हें भी जोड़ देना चाहिए जो लगभग भूमिहीन ही हैं अथवा जिनके पास नाममात्र को ही भूमि है। इसके लिए वर्तमान सीलिंग कानूनों के अंतर्गत बड़े भूस्वामियों से भूमि प्राप्त की जा सकती है। भूदान कार्यक्रम के अंतर्गत प्राप्त भूमि जो ठीक से नहीं बंटी वह भी वितरित की जा सकती है। गांव की जमीन पर जो अवैध कब्जे हैं वे हटाए जा सकते हैं। शहरों में अनेक धनी परिवार हैं जिनका गांव की खेती–किसानी से कोई संबंध नहीं रहा और न ही वे भविष्य में खेती करेंगे। उनकी भूमि का एक बड़ा हिस्सा भी गांव के मेहनतकश भूमिहीनों को दिया जा सकता है। वन विभाग की बहुत सी जमीन खाली पड़ी है। यह वृक्ष खेती के लिए भूमिहीन परिवारों को दी जा सकती है। बंजर पड़ी भूमि को सरकार अपने प्रयास से खेती योग्य बना कर भूमिहीनों को दे सकती है। वाटरशेड परियोजनाओं को समता आधारित खेती से और भूमि सुधार से जोड़ना चाहिए ताकि गरीब व छोटे किसानों को इन परियोजनाओं का अधिक लाभ मिले। किसी स्थान की फसलें व फसल चक्र वहां उपलब्ध जल के अनुकूल होनी चाहिए। नई व बड़ी परियोजनाओं से कुछ समय के लिए परहेज करके पहले

से बनी परियोजनाओं पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। नदियों को जोड़ने की परियोजनाओं से परहेज करना चाहिए। किसी बड़े उद्योग की बजाय कृषि व खाद्य उत्पादन के लिए जल उपलब्धता को प्राथमिकता मिलनी चाहिए। वायु व जल प्रदूषण, हानिकारक गैस आदि के खतरों से किसानों की रक्षा होनी चाहिए। सभी स्तरों पर खेती को कम खर्चीली बनाया जाए ताकि किसान कर्जग्रस्त होने से बच सकें। इसके बावजूद किसान को कर्ज की जरूरत पड़ ही जाए तो सरकार को कम ब्याज पर व साधारण ब्याज दर पर कर्ज देना चाहिए व मौसम प्रतिकूल होने पर ब्याज छोड़ देना चाहिए। बचत की आदत डालने व सूदखोरी से बचने के लिए स्वयं सहायता समूहों को प्रोत्साहित करना चाहिए। किसानों को अपनी उपज बेहतर कीमत मिलनी चाहिए।

खेती किसानी बहुत कुशलता का कार्य है इसलिए कीमत निर्धारण में किसान की कार्य कुशलता को स्वी.ति मिलनी चाहिए। किसान की जरूरतों को समझते हुए किसानों के परिवार के सदस्यों की संख्या को ध्यान में रखना होगा। टिकाऊ खेती को प्रोत्साहित करने के लिए व बिना रासायनिक खाद व कीटनाशक के उगाई गई फसल को स्वास्थ्य के लिए विशेष उपयोगी मानते हुए विशेष प्रोत्साहन व बेहतर कीमत की व्यवस्था होनी चाहिए। किसान व उपभोक्ता एक दूसरे के नजदीक आएं। शोषण करने वाले बिचौलियों की भूमिका न्यूनतम की जानी चाहिए। फसलों के चुनाव में स्थानीय भोजन के लिए जरूरी खाद्य पदार्थों जैसे अनाज, दलहन, तिलहन, सब्जी को प्राथमिकता देनी चाहिए।

दूसरी प्राथमिकता स्थानीय पशुपालन के लिए चारे, कुटीर उद्योगों के लिए जरूरी फसल विशेषकर हाथ की कताई–बुनाई के लिए देसी कपास को मिलनी चाहिए। कृषि और पशुपालन की समृद्धि को एक दूसरे का पूरक मानकर आगे बढ़ाना चाहिए। महिला किसानों को प्रोत्साहित करने पर विशेष ध्यान देना चाहिए। पति व पत्नी की संयुक्त हकदारी भूमि पर होनी चाहिए। विवाह के साथ ही पत्नी को संयुक्त हकदारी मिलनी चाहिए। जेनेटिक इंजीनियरिंग के खतरों को देखते हुए जेनेटिक फसलों के प्रसार पर रोक लगनी चाहिए। कृषि वैज्ञानिकों को कारपोरेट दबाव से पूरी तरह मुक्त होकर छोटे किसानों व टिकाऊ खेती के हित में काम करना चाहिए। ■

(लेखक स्वतंत्र टिप्पणीकार हैं)

पृष्ठ. 28 का शेष

मानकर निरस्त कर दिया है, परन्तु सरकार ने घुसपैठ के मुद्दे के हल के लिए कोई कदम नहीं उठाया है।

मालेगांव, हैदराबाद, मक्का–मस्जिद सहित देश के विभिन्न भागों में जो कुछ घटा वह दुर्भाग्यपूर्ण, खतरनाक और निंदनीय है। आप साजिश रचने वालों को दंडित कीजिए। आतंकवाद को धर्म से मत जोड़िए। बांग्लादेश से लोग आ रहे हैं आप उन्हें वोट बैंक के खातिर देश में घुसने दे रहे हैं। मणिपुर में धन ऐंठने का व्यापक नेटवर्क चल रहा है। यह एक गंभीर मामला है। हमें इस मामले को हल करना होगा। नेशनल काउंटर टेरेरिज्म सेंटर की स्थापना के मामले मे कितनी प्रगति हुई है? सरकार को विभिन्न राज्यों द्वारा पारित विभिन्न कानूनों को समग्रता की दृष्टि से लेना चाहिए। जबकि महाराष्ट्र में 'मकोका' कानून है, गुजरात द्वारा पारित कानून को बिना राष्ट्रपति के अनुमोदन के वापस भेज दिया गया था। विभिन्न राज्यों में अलग–अलग स्तरों पर पुलिस बल की कमी है। गृह मंत्रालय को राज्यों के साथ समन्वय करना चाहिए और यह सुनिश्चित करना चाहिए कि ये पद यथाशीघ्र भरे जाएं। पुलिस बल के आधुनिकीकरण का क्या हुआ? सीएजी के प्रतिवेदन में कहा गया है कि राज्यों का अभी भी पुराने हथियारों पर निर्भर रहना जारी है, उनके प्रशिक्षण अवसंरचना पर्याप्त नहीं हैं। गृह मंत्रालय को निधियां स्वीकृत करने और सलाह देने तक सीमित नहीं रहना चाहिए अपितु राज्यों द्वारा योजनाओं का बेहतर अनुपालन अथवा कार्यान्वयन भी सुनिश्चित करना चाहिए। दिल्ली में अपराधों का औसत राष्ट्रीय औसत का दुगुना है। उच्च न्यायालय को मजबूरन इसे भारत की अपराध राजधानी कहना पड़ा। बांग्लादेशियों का घुसना जारी रहना एक गंभीर समस्या है। जनगणना और राष्ट्रीय जनगणना रजिस्टर के मामले पर आते हुए मैं माननीय मंत्री से अनुरोध करूंगा कि राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर जनगणना को एक साथ न मिलाएं। एक बार किसी विदेशी का नाम राष्ट्रीय जनसंख्या में दर्ज होने पर उसे हटाना मुश्किल है।

आपने अपनी पार्टी और सदस्यों को विश्वास में लिए बिना तेलंगाना के संबंध में एक समिति नियुक्त की है, उस समिति का वैधानिक प्राधिकार क्या है, और उसके प्रतिवेदन की वैधता क्या है? तेलंगाना के लोगों की भावनाओं से खिलवाड़ मत कीजिए। जो आप करना चाहते हैं, उसके संबंध में स्पष्ट बात कीजिए, संसद को बताइए और तब निर्णय लीजिए। गृहमंत्री को उन लोगों को राजक्षमा देने के बारे में बताना चाहिए जो आजाद कश्मीर से लौटते हैं। यदि राजक्षमा दी जाती है तो यह घुसपैठ के द्वार खोल देगा। यह एक बहुत संवेदनशील मामला है। ■